

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

1	kam-393/3	रमेश पुरी / देव पुरी / कामन खेड़ा	भूमिहीन के रूप में अनुदान देने बाबद	आवेदक को कृषक के मान से पुनर्वास अनुदान राशि का भुगतान किया गया	—	आवेदक को कृषक के मान से अनुदान दिया गया भूमिहीन की प्रात्रता नहीं आती	
2	kam-406/2	विष्णु पुरी / गिरपुरी / कामन खेड़ा	पाईप लाईन अधिग्रहण करने बाबद	—	—	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	
3	kam-482/1	ओमप्रकाश / रामेश्वर / कामनखेड़ा	मकान अर्जन करने बाबद	—	—	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	
4	kam-396/3	जितेन्द्र पुरी / महेश पुरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन के रूप में अनुदान देने बाबद	आवेदक को कृषि के मान से अनुदान दिया गया	—	आवेदक को भूमिहीन मान से अनुदान की प्रात्रता नहीं आती	
5	kam-474/1	संतोष बाई / शंकरलाल / कामन खेड़ा	मकान अर्जन करने बाबद	—	—	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनुर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

6	kam-448/1	विकासपुरी / विष्णुपुरी / कामनखेड़ा	मकान अर्जन करने बाबद	-	-	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	
7	kam431/1	गंगाराम / कृष्ण / कामनखेड़ा	मकान अर्जन करने बाबद			प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	
8	kam-392/3	महेश पुरी / देव पुरी / कामन खेड़ा	भूमिहीन के रुप मे अनुदान प्राप्त बाबद	आवेदक को कृषक के मान से अनुदान सहायता राशि दी गई	-	आवेदक को पुर्नवास अनुदान राशि का भुगतान किया गया आवेदक को भुमि हिन के रुप मे अनुदान पाने की पात्रता नहि आती	
9	kam-421/1	रमेश / डोगर पुरी / कामनखेड़ा	मकान अर्जन करने बाबद	-	-	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	
10	kam-441/1	संतोष बाई / शंकर लाल / कामनखेड़ा	मकान अर्जन करने बाबद	-	-	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

11	kam-495/1	लोकेन्द्र सिंह / राजेन्द्र सिंह / कामन खेडा	परिवार सुची में नाम जोडकर अनुदान देने बाबद	—	—	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
12	kam-410/1	तोताराम / श्रवण / कामनखेडा	मकान का मेरा मकान धारा 4 के पहले का बना है जिसका अधिग्रहण किया जावे	—	—	एन वी डीए क्रमांक 32 के दवारा सर्वे प्रतिवेदन मे नाम न होने से अर्जन नहीं किया गया	
13	kam-432/1	विजयबन / देवबन / कामनखेडा	मकान अर्जन करने बाबद	—	—	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्रि नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 3 मुआवजे की राशि कम प्राप्त हुई

1	KAM-533	शिवराम / सरदार / कामनखेड़ा	मकान की मुआवजा राशि कम प्राप्त होने संबंधी	आवेदक के नाम से कृषि भूमि अवार्ड गणना पत्रक क्रमांक-146 पर राशि रु. 18222 एवं पुनर्वास अनुदान राशि रु. 43700 का भुगतान किया गया।	---	आवेदक के आवेदन के संबंध में लेख है कि, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग एनएचडीसी खंडवा द्वारा मकान का मूल्यांकन किया गया जिसके आधार पर मकान की मुआवजा राशि निर्धारित कर मुआवजा दिया गया।	
---	---------	----------------------------	--	--	-----	--	--

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

1	KAM-423	मनीष / पदम / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	-		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र कामनखेड़ा में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
2	KAM-473	आरती / ओमप्रकाश / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।		शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 29414 दिनांक 19.06.09 के पालन में आवेदक की पुनर्वास अनुदान की मांग खारिज की जा चुकी है।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 29414 दिनांक 19.06.09 के पालन में आवेदक की पुनर्वास अनुदान की मांग खारिज की जा चुकी है।	
3	KAM-472	आपिश / हीरालाल / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।		शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 29417 दिनांक 19.16.09 के पालन में आवेदक की पुनर्वास अनुदान की मांग खारिज की जा चुकी है।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 29417 दिनांक 19.16.09 के पालन में आवेदक की पुनर्वास अनुदान की मांग खारिज की जा चुकी है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

1	kam-340	दुर्गाराम / भवानीराम / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	---	---	आवेदक को पात्रता नही होने से आवेदन निरस्ती योग्य है	
2	kam-338	कालू / चन्दर / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	---	---	डूब क्षेत्र की सूची में नाम नहीं है।	
3	kam-339	राजु / मोहन / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 137 पर राशि रु0 22269 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को भूखण्ड की राशि 20000 रु. का भुगतान किया गया है। निरस्त योग्य	
4	kam-34	मगन / रुमालसिंह / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान एफआरएल क्रमांक-17 पर राशि रु0 93998 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को पात्रता नही होने से आवेदन निरस्ती योग्य है	
5	kam-230	शिवराम / सरदार / कामनखेड़ा	घर का मुआवजा रु. 25000 से कम बनने पर कंडिका-7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-146 पर राशि रु0 1822 दी जा चुकी है।	---	इंदिरा आवास के तहत पुनर्वास नीति की कंडिका-7.2 के अनुसार शेष राशि दिया जाना उचित है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

6	kam-229	राजेन्द्र / भागचन्द्र / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-163 पर राशि रु० 109325 एवं पुनर्वास अनुदान आबादी टापू क्रं. -143 रु० 68000 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को पुनर्वास स्थल इंधावड़ी में भूखण्ड क्रं.-147 प्रस्तावित किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य	
7	kam-337	हरि / सजन / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 25 पर राशि रु० 18700 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
8	kam-226	ज्योति / पुरनराव / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
9	kam-335	लक्ष्मीबाई / भगवानपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 82 पर राशि रु० 54554 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
10	kam-336	कैलाशपुरी / आन्नपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 164 पर राशि रु० 9350 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

11	kam-228	भागचंद / कन्हैया / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-38 पर राशि रु० 53620 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.-15 रु० 18700 दी जा चुकी है।	---	प्लाट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लाट हेतु आवेदन कर सकता है।	
12	kam-185	जगदीश / रूमजी / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
13	kam-188	हंसाबाई / गेंदपुरी / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
14	kam-197	बंसतीबाई / पान्दुरंग / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
15	kam-196	मौसमपुरी / इन्द्रपुरी / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

16	kam-195	संदीपपुरी / नन्नूपुरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना आबादी टापू पत्रक क्रमांक 121 पर राशि रु0 44313 दी जा चुकी है।	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	
17	kam-194	गंगाराम / हरनाथ / कामनखेड़ा	कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदक को आबादी भूमि टापू के मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-75 पर राशि रु0 94301 एवं पुनर्वास अनुदान के खाता क्रं.-64 पर रु0 9350 दिया गया है।	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	---	
18	kam-193	जीतसिंह / गंगाराम / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदक को आबादी भूमि टापू मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-76 पर राशि रु0 273399 एवं पुनर्वास अनुदान गणना खाता क्रं.-65 रु0 9350 का भुगतान किया गया है।	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	---	
19	kam-192	पुनीतसिंह / करनसिंह / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदक के पिता के नाम से आबादी भूमि टापू के मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 77 पर राशि रु0 93489 का भुगतान किया जा चुका है तथा आवेदक को पुनर्वास अनुदान रु0 9350 दिया जा चुका है।	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	---	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत							
20	kam-191	झवरसिंह / हरचंद / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
21	kam-190	कोमल / रमेश / कामनखेड़ा	घर का मुआवजा रु. 25000 से कम बनने पर कंडिका-7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-143 पर राशि रु0 3375 दी जा चुकी है।	---	इंदिरा आवास के तहत पुनर्वास नीति की कंडिका-7.2 के अनुसार शेष राशि दिया जाना उचित है।	
22	kam-189	रामलाल / प्रेमलाल / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
23	kam-231	बसंतपुरी / शिवपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-35 पर राशि रु0 216439 एवं पुनर्वास अनुदान शिकायत निवारण प्राधिकरण के द्वारा क्रं.-50 रु0 34350 दी जा चुकी है।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा आवेदक के प्रकरण क्र 29642 दिनांक 20.04.09 से मान्य किया गया।	आवेदक को शिकायत निवारण प्राधिकरण के आदेश के पालन में भुगतान किया गया है। अतः आवेदन पत्र निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

24	kam-199	संगीतापुरी / राकेशपुरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना आबादी टापू पत्रक क्रमांक 123 पर राशि रु० 30112 दी जा चुकी है।	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	
25	kam-186	गिरजाबाई / लक्ष्मीबाई / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
26	kam-200	विशाखा / हीरालाल / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
27	Kam-184	कृष्णापुरी / रामेश्वर / कामनखेड़ा	पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत	आबादी भूमि टापू के खाते क्रं.-89 में रु. 29197 मुआवजा तथा पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक के खाता क्रं.-79 रु. 18700 का भुगतान किया गया है। भूखण्ड की राशि रु. 20,000 का भुगतान नहीं किया गया।	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	---	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

28	Kam-183	कपूरीबाई / बेवा मिसरीलाल / कामनखेड़ा	कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदिका को टापू आबादी भूमि के खाते क्रं.-74 अवार्ड राशि रु. 170089 तथा पुनर्वास अनुदान खाता क्रं. -63 में रु. 9350 का भुगतान किया गया है।	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक में भूखण्ड की राशि रु. 20,000 का भुगतान नहीं किया गया।	
29	kam-182	गजानंद / जतन / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को एफआरएल ओल्ड पुनर्वास अनुदान क्रं. -76 रु0 78731 दी जा चुकी है।	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	
30	kam-344	हरिपुरी / इन्दरपुरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 83 पर राशि रु0 59432 दी जा चुकी है।	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	
31	kam-345	छोटी बाई / फत्तु / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	---	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

32	kam-346	गज्जूपुरी / पुरनपुरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 180 पर राशि रु० 78498 पुनर्वास अनुदान क्रं.-156 रु० 68000 दी जा चुकी है।	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	
33	kam-347	बाबू / दशरथ / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 122 पर राशि रु० 70274 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.- 72 रु० 76850 दी जा चुकी है।	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	
34	kam-349	सुखलालपुरी / दगडुपुरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 178 पर राशि रु० 10206 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं. 45 रु० 68000 दी जा चुकी है।	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	
35	kam-35	दुर्गा / हारसिंह / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान एफआरएल क्रमांक-17 पर राशि रु० 93000 दी जा चुकी है।	---	आवेदिका को पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है	
36	kam-350	नरोत्तमपुरी / देवपुरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 62 पर राशि रु० 141864 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं. 55 रु० 9350 दी जा चुकी है।	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

37	kam-351	प्रकाश / फत्तु / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 72 पर राशि रु० 110756 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं. 34 रु० 18700 दी जा चुकी है।	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	
38	kam-352	जगन / बेरसिंह / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को पिता के नाम से मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 109 पर राशि रु० 21123 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.-40 रु० 93000 दी जा चुकी है।	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	
39	kam-187	ज्योति / ओमप्रकाश / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
40	kam-213	हारलीबाई / मिट्टू / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को मुआवजा कृषि भूमि टापू गणना पत्रक क्रमांक-164 पर राशि रु० 25205 दी जा चुकी है।	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	
41	kam-342	मनोहर / नरसिंह / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 10 पर राशि रु० 50463 दी जा चुकी है।	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

42	kam-343	निर्मलगिरी / कमलगिरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 140 पर राशि रु० 109096 दी जा चुकी है।	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	
43	kam-225	संगीताबाई / प्रकाश / कामनखेड़ा	मेरे घर के भू-अर्जन करने बाबत।	---	---	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	
44	kam-224	प्रकाश / तुलाराम / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता के नाम से कृषि भूमि टापू के खाता क्रं. -59 पर राशि रु० 103815 दी जा चुकी है।	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
45	kam-223	धमेन्द्र / भागचन्द्र / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक के पिता के नाम से मुआवजा गणना पत्रक कृषि भूमि एफआरएल क्रमांक-38 पर राशि रु० 53620 भुगतान किया गया तथा आवेदक को टापू आबादी भूमि पुनर्वास अनुदान क्रं.-142 रु. 68,000 दिया गया।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

46	kam-222	प्रवीण / ओमप्रकाश / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को आबादी टापू मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-185 पर राशि रु0 147684 एवं जी.आर.ए. द्वारा स्वीकृत।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा आवेदक के प्रकरण क्र 24638 दिनांक 09.06.09 से मान्य किया गया।	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
47	kam-220	कुसुमबाई / भगवानगिरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक एफआरएल क्रमांक-44 पर राशि रु0 321782 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं. 04 रु0 9350 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
48	kam-219	बलरामपुरी / नन्नूपुरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक की माँ को आबादी टापू गणना पत्रक में क्रमांक-70 पर राशि रु084801 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.-149 रु0 9350 दी जा चुकी है।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा आवेदक के प्रकरण क्र 24678 एवं 29690 दिनांक 09.06.09 से मान्य किया गया।	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
49	kam-218	संतोषपुरी / तेजपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-147 पर राशि रु0 78195 एवं टापू आबादी पुनर्वास अनुदान क्रं.-126 रु0 18700 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

50	kam-217	राधेश्यामपुरी / चैनपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना 25 प्रतिशत पत्रक क्रमांक-02 पर राशि रू० 45224 तथा खाता क्रं.-83 में रू. 36810 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.131 क्रं. रू० 18700 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास सिल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
51	kam-216	हरिपुरी / राधेश्याम / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को आबादी भूमि टापू मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-165 पर राशि रू० 57614 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं. 145 रू० 18700 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
52	kam-198	कपूरीबाई / बेवा मिश्रीलाल / कामनखेड़ा	कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदिका को आबादी भूमि टापू के मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-74 पर राशि रू० 170089 एवं पुनर्वास अनुदान खाता क्रं.-63 रू० 9350 दिया जा चुका है।	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	---	
53	kam-214	धुलसिंह / झेतरिया / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रू. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रमांक-51 पर राशि रू० 105334 दी जा चुकी है।	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

54	kam-341	मोहनपुरी / भैरुपुरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 98 पर राशि रु0 9350 दी जा चुकी है।	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	
55	kam-212	राकेश / मंशाराम / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 141 पर राशि रु0 8222 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.-60 रु0 104778 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को पुनर्वास नीति के तहत सम्पूर्ण राशि का भुगतान किया गया है आवेदन निरस्त योग्य है।	
56	kam-211	हारलीबाई / मिट्टू / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत्	आवेदक को कृषि भूमि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 164 पर राशि रु0 25205 एवं पुनर्वास अनुदान गणना क्रं. 42 रु0 93000 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को पुनर्वास नीति के अनुसार सम्पूर्ण राशि का भुगतान किया गया है।	
57	kam-210	जालमपुरी / तेजपुरी / कामनखेड़ा	मेरे घर के भू-अर्जन करने बाबत्।	---	---	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्रि नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

58	kam-21	जगदीशपुरी / बाबूपुरी / कामनखेड़ा	घर का भू-अर्जन करने बाबत्।	आवेदक का कोई भी सम्पत्ति अर्जित नहीं हुई है।	---	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्रि नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	
59		रमाबाई / तेजपुरी / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
60	kam-208	संजु / शंकर / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
61	kam-207	बाबूपुरी / गेंदपुरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-47 पर राशि रु० 18700 दी जा चुकी है।	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	
62	kam-206	हुकुमपुरी / गेंदपुरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 188 पर राशि रु० 59222 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.- 102 रु० 68000 दी जा चुकी है।	---	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

63	kam-205	मायापुरी / हुकुमपुरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक-101 पर राशि रु0 68000 दिया गया है।	---	भविष्य अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	
64	kam-204	गोपालपुरी / कृष्णपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को आबादी भूमि टापू का मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-90 पर राशि रु0 139737 एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रं.-80 रु0 18700 दी जा चुकी है।		प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
65	kam-203	रोहित भारती / ओमभारती / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक पर राशि रु0 एवं पुनर्वास अनुदान रु0 दी जा चुकी है।			
66	kam-201	मोहन / ओमभारती / कामनखेड़ा	कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक पर राशि रु0 एवं पुनर्वास अनुदान रु0 दिया जा चुका है।			
67	kam-215	बारका / मिटठू / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 108 पर राशि रु0 28569 दी जा चुकी है।	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

68	kam-279	महेन्द्रपुरी / अनोखीपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को आबादी टापू मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-160 पर राशि रु0 68212 एवं पुनर्वास क्रं.- 141 अनुदान रु0 9350 दी जा चुकी है।	--	आवेदक को पुनर्वास स्थल इंधावड़ी सूची क्रं.-141 पर भूखण्ड क्रं.-209 आवंटित किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
69	kam-266	महापुरी / जगदीशपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को आबादी टापू मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-177 पर राशि रु0 180836 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.-160 रु0 68000 दी जा चुकी है।	--	आवेदक को पुनर्वास स्थल इंधावड़ी सूची क्रं.-160 पर भूखण्ड क्रं.-212 प्रस्तावित किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
70	kam-312	निर्मलाबाई / राजेन्द्र / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 44 पर राशि रु0 87140 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.- 43 रु0 68000 दी जा चुकी है।	--	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
71	KAM-92	देवेन्द्रपुरी / गणेश / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान (आबादी टापू) राशि गणना क्र० 68 पर 68000 रु० भुगतान की गई।		कंडिका 9.1 की राशि 49300 रु० भुगतान की गई है। वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने के प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

72	KAM-101	गणेशपुरी / नत्थुपंरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान (आबादी टापू) राषि गणना क्र० 67 पर 68000 रु० भुगतान की गई।	—	कंडिका 9.1 की राशि 49300 रु० भुगतान की गई है। वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने के प्रावधान नहीं है।	
73	KAM-327	गोविंद / रुखडु / कामनखेड़ा	मकान का मुआवजा, पुनर्वास अनुदान एवं प्लॉट देने बाबत।	—		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
74	KAM-406	विष्णुपुरी / भगवानपुरी / कामनखेड़ा	कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान (आबादी टापू) राषि गणना क्र० 71 पर 68000 रु० भुगतान की गई।		इनपुन पुनर्वास स्थल पर भूखंड उपलब्ध नहीं है। अन्य पुनर्वास स्थल जहाँ भूखंड रिक्त है वहाँ प्लॉट आवंटित किया जा सकता है।	
75	KAM-437	केदारपुरी / देवपुरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन के रूप में अनुदान देने बाबत	पुनर्वास अनुदान (आबादी टापू) राषि गणना क्र० 83 पर 9350 रु० भुगतान की गई।		आवेदक के पास कृषि भूमि होने से भूमिहीन के रूप में अनुदान देने की पात्रता नहीं आती है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

76	KAM-446	रेमसिंह / नाकु / कामनखेड़ा	घर का मुआवजा 25,000 रु० से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत	पुनर्वास अनुदान (आबादी टापू) राशि गणना क्र० 49 पर 96153 रु० भुगतान की गई।		आवेदक की कंडिका 7.2 की राशि 3153 रु० दी गई है।	
77	KAM-451	कालु / चंदर / कामनखेड़ा	घर का मुआवजा 25,000 रु० से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत	आवेदक को कृषि अवार्ड क्र० 120 पर मकान की मुआवजा राशि 17220 रु० भुगतान की गई।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र कामनखेड़ा में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया। कंडिका 7.2 की पात्रता नहीं आती है।	
78	KAM-491	प्रवीण / ओमप्रकाश / कामनखेड़ा	कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	जी०आर०ए० के आदेश के पालन में पुनर्वास अनुदान राशि 43700 रु० भुगतान किया गया।		आवेदक को भूखंड के बदले नगद राशि 20,000 रु० भुगतान की जा चुकी है। अब प्लॉट की पात्रता नहीं है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
79	KAM-493	रमेशचंद / श्यामराव / कामनखेड़ा	कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान (बी.डब्ल्यू.एल.) राशि क्र. 2 पर 9350 रु० भुगतान किया गया।		इनपुन पुनर्वास स्थल पर भूखंड उपलब्ध नहीं है। अन्य पुनर्वास स्थल जहाँ भूखंड रिक्त है वहाँ प्लॉट आवंटित किया जा सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

80	KAM-496	कृष्णगीर / रामेश्वरगीर / कामनखेड़ा	कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	जी०आर०ए० के आदेश के पालन में पुनर्वास अनुदान (आबादी टापू) राशि क्र. 2 पर 67500 रु० भुगतान किया गया।		आवेदक को भूखंड के बदले नगद राशि 20,000 रु० भुगतान की जा चुकी है। अब प्लॉट की पात्रता नहीं है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
81	kam-310	नीलूबाई / भरत / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-49 पर राशि रु० 62240 एवं क्रं.-1 रु. 9384 कृषि भूमि 25 प्रतिशत दी जा चुकी है।	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
82	kam-280	प्रीति / कृष्णदास / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को टापू आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-12 पर राशि रु० 76442 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.- 15 रु० 42500 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को पुनर्वास स्थल इंधावड़ी सूँची क्रं.-15 पर भूखण्ड क्रं.-195 आवंटित किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
83	kam-31	मांगीलाल / सोमेश्वर / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 144 पर राशि रु० 62972 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.-118 रु० 42500 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास सिल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

84	kam-278	संतोष / फत्तू / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को कृषि टापू मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-71 पर राशि रू0 104598 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.-33 रू0 18700 दी जा चुकी है।	---	प्लाट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लाट हेतु आवेदन कर सकता है।	
85	kam-277	राजपुरी / भोलपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-54 पर राशि रू0 204413 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.- 50 रू0 18700 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को पुनर्वास स्थल इनपुन सेक्टर-बी सूँची क्रं.-50 पर भूखण्ड क्रं.-166 आवंटित किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
86	kam-276	हरिपुरी / इंदरपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक के पिता के नाम से मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-83 पर राशि रू0 59432 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.-49 रू0 9350 दी जा चुकी है।	---	प्लाट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लाट हेतु आवेदन कर सकता है।	
87	kam-275	लक्ष्मीबाई / पुरनपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-178 पर राशि रू0 73986 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.- 158 रू0 68000 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को पुनर्वास स्थल इंधावड़ी सूँची क्रं.-70 पर भूखण्ड क्रं.-67 आवंटित किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

88	kam-274	सीमाबाई / लक्ष्मण / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदिका को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-47 पर राशि रू० 95705 एवं पुनर्वास अनुदान लक्ष्मणपुरी पिता बलराम सीमाबाई के पति को क्रं.-46 रू० 68000 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास सिल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
89	kam-273	उमेशगिरी / रमेशगिरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक पिता के नाम पर मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-172 पर राशि रू० 56114 एवं पुनर्वास आवेदक को पुनर्वास क्रं.-152 अनुदान रू० 9350 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को पुनर्वास स्थल इंधावड़ी सूची क्रं.-152 पर भूखण्ड क्रं.-155 आवंटित किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
90	kam-272	दिनेशपुरी / अमरपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-96 पर राशि रू० 47028 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं. 85 रू० 18700 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को पुनर्वास स्थल इंधावड़ी सूची क्रं.-85 पर भूखण्ड क्रं.-91 आवंटित किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
91	kam-271	रूपेशगिरी / रमेशगिरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-172 पर राशि रू० 56114 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.-153 रू० 9350 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को पुनर्वास स्थल इंधावड़ी सूची क्रं.-153 पर भूखण्ड क्रं.-211 प्रस्तावित किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

92	kam-270	राकेशपुरी / नारायणपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रं.-145 रु. 1393968 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.-123 भरू 9350 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को पुनर्वास स्थल इंधावड़ी सूँची क्रं.-123 पर भूखण्ड क्रं.-127 प्रस्तावित किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
93	kam-313	उषाबाई / गणेशपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 109 पर राशि रु० 95242 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से निवासरत् न होने के कारण पात्रता नहीं आती।	
94	kam-268	धमेन्द्र / राधेश्याम / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूँची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
95	kam-320	कैलाशभारती / कमलभारती / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 154 पर राशि रु० 24892 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास सील गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
96	KAM-499	सालनगीर / भेरुगीर / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को कृषि टापू अवार्ड क्र० 74 पर मुआवजा राशि 139882 रु० भुगतान की गई।	-	वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने के प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

97	kam-296	विजय / हेमराज / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 01 पर राशि रू0 68000 दी जा चुकी है।	---	प्लाट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लाट हेतु आवेदन कर सकता है।	
98	kam-281	शिवकन्या / बेवा रामपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदिका पति के नाम से क्रं.-52 मुआवजा गणना पत्रक राशि रू0 35052 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं. 60 रू0 18700 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को पुनर्वास स्थल इनपुन से. सी सूँची क्रं.-60 पर भूखण्ड क्रं.-66 आवंटित किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
99	kam-283	सुदामा / सरदार / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 27 पर राशि रू0 7956 दी जा चुकी है।	---	परिवार की अंतिम सूँची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
100	kam-284	किशोरपुरी / श्रवणपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 76 पर राशि रू0 119261 एवं पुनर्वास अनुदान क्र.39 रू0 9350 दी जा चुकी है।	---	प्लाट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लाट हेतु आवेदन कर सकता है।	
101	kam-285	धर्मेन्द्रपुरी / रामपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 72 पर राशि रू0 115272 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.-61 रू0 18700 दी जा चुकी है।	---	प्लाट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लाट हेतु आवेदन कर सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

102	kam-286	आनंद / धन्नालाल / कामनखेड़ा	घर का मुआवजा रु. 25000 से कम बनने पर कंडिका-7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-29 पर राशि रु0 4719 एवं मुआवजा पत्रक क्रं.-29 रु0 20281 दी जा चुकी है।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा आवेदक के प्रकरण क्र 24733 दिनांक 02.06.08 से मान्य किया गया।	आवेदक को कंडिका-7.2 की राशि का पूर्ण भुगतान किया गया है।	
103	kam-287	रूमजी / भूरला / कामनखेड़ा	घर का मुआवजा रु. 25000 से कम बनने पर कंडिका-7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 147 पर राशि रु0 17941 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं. 29 रु0 95059 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को कंडिका-7.2 की राशि का पूर्ण भुगतान किया गया है।	
104	kam-288	मोहन / भीका / कामनखेड़ा	घर का मुआवजा रु. 25000 से कम बनने पर कंडिका-7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 125 पर राशि रु0 22006 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.-77 रु0 76850 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को कंडिका-7.2 की पात्रता नहीं है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
105	kam-289	राजु / मोहन / कामनखेड़ा	घर का मुआवजा रु. 25000 से कम बनने पर कंडिका-7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 137 पर राशि रु0 22269 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.-79 रु0 76850 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को कंडिका-7.2 की पात्रता नहीं है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
106	kam-291	संतोषबाई / कालूजी / कामनखेड़ा	घर का मुआवजा रु. 25000 से कम बनने पर कंडिका-7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 78 पर राशि रु0 12958 दी जा चुकी है।	---	अनुदान संबंधी दस्तावेज संलग्न नहीं होने के कारण आवेदन निरस्त किया जाता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

107	kam-292	मंशाराम / पदम / कामनखेड़ा	घर का मुआवजा रु. 25000 से कम बनने पर कंडिका-7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 140 पर राशि रु0 9311 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.-59 रु0 103689 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को कंडिका-7.2 की राशि का पूर्ण भुगतान किया गया है।	
108	kam-293	राकेश / मंशाराम / कामनखेड़ा	घर का मुआवजा रु. 25000 से कम बनने पर कंडिका-7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 141 पर राशि रु0 8222 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.-90 रु0 104778 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को कंडिका-7.2 की राशि का पूर्ण भुगतान किया गया है।	
109	kam-294	रमेश / पदम / कामनखेड़ा	घर का मुआवजा रु. 25000 से कम बनने पर कंडिका-7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 142 पर राशि रु0 4015 एवं पुनर्वास अनुदान रु0 18985 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को कंडिका-7.2 की राशि का पूर्ण भुगतान किया गया है।	
110	kam-311	राधेश्याम / मोतीराम / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 22 पर राशि रु0 18700 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
111	kam-295	राजु / तुकाराम / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 02 पर राशि रु0 54820 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.-02 रु0 18700 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

112	kam-265	जगदीशपुरी / पुरनपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत्	आवेदक को टापू आबादी में मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-178 पर राशि रू0 73986 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.-159 रू0 68000 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को पुनर्वास स्थल इंधावड़ी सूची क्रं.-159 पर भूखण्ड क्रं.-161 प्रस्तावित किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
113	kam-297	नरोत्तमपुरी / देवपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत्	आवेदक को एफआरएल पर मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 62 पर राशि रू0 141864 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.-55 रू0 9350 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
114	kam-299	नरोत्तमपुरी / पुरनपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 83 पर राशि रू0 30624 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को पुनर्वास स्थल इनपुन सेक्टर-3 सी भूखण्ड क्रं.-1201 आवंटित किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है। दि. 07.12.	
09							
115	kam-30	अजय / मांगीलाल / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत्	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 144 पर राशि रू0 62972 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.-119 रू0 42500 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

116	kam-300	कड़वा / खेमा / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 4 पर राशि रु0 84293 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं. 32 रु0 18700 दी जा चुकी है।	---	प्लाट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लाट हेतु आवेदन कर सकता है।	
117	kam-301	रमेशपुरी / देवपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 142 पर राशि रु0 100383 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.-117 रु0 9350 दी जा चुकी है।	---	प्लाट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लाट हेतु आवेदन कर सकता है।	
118	kam-302	कंचनबाई / रमेश / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 96 पर राशि रु0 16646 दी जा चुकी है।	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
119	kam-303	देवकीबाई / गणेश / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 95 पर राशि रु0 16319 दी जा चुकी है।	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
120	kam-304	संजयपुरी / गेंदपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	---	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा आवेदक के प्रकरण क्र 24719 दिनांक 21.04.09 से मान्य किया गया।	प्लाट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लाट हेतु आवेदन कर सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

121	kam-305	सातनगिरी / भैरवगिरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 1 पर राशि रु0 49300 दी जा चुकी है।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा आवेदक के प्रकरण क्र 29670 दिनांक 21.04.09 से मान्य किया गया।	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
122	kam-306	देवेन्द्रपुरी / नारायणपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 45 पर राशि रु0 130345 दी जा चुकी है।	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
123	kam-307	राजू / हेमराज / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-26 रु0 63000 दी जा चुकी है।	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	
124	kam-308	गजानंद / गणपत / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत्	आवेदक को अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 69 पर राशि रु0 93000 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
125	kam-294/1	दुर्गराम / भुवानीराम / कामनखेड़ा	घर का मुआवजा रु. 25000 से कम बनने पर कंडिका-7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

126	kam-241	पप्पूगीर / राजगीर / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
127	kam-267	मनोहर / नरसिंह / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-30 पर राशि रु० 68000 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
128	kam-328	राकेश / नरसिंह / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 51 पर राशि रु० 51785 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
129	kam-249	दिनेश / बसवा / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
130	kam-329	पप्पु / फत्तु / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 155 पर राशि रु० 26047 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

131	kam-248/1	ज्योति / प्रेम / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
132	kam-248	नरसिंग / कन्हैया / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 10 पर राशि रु० 50463 पुनर्वास अनुदान क्रं.- 28 रु. 68000 दी जा चुकी है।	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	
133	kam-247	बसंती / आशाराम / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
134	kam-33	खुबाजी / चंपालाल / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत्	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-120 रु० 68000 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
135	kam-330	बाबूपुरी / गेदपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 38 पर राशि रु० 431478 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

136	kam-245/1	गुलाबपुरी / गोपालपुरी / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
137	kam-245	लक्ष्मीबाई / भैरुपुरी / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
138	kam-244	दिलीप / प्रेम / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
139	kam-327	सोनिबाई / तुकाराम / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 02 पर राशि रू० 54820 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
140	kam-242	राहुल / संतोष / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

141	kam-326	तोताराम / श्रवण / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	---	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	
142	kam-331	भगवान / सरदारसिंह / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 27 पर राशि रु० 7956 दी जा चुकी है।	---	प्लाट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लाट हेतु आवेदन कर सकता है।	
143	kam-332	तोताराम / श्रवण / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 28 पर राशि रु० 8393 दी जा चुकी है।	---	प्लाट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लाट हेतु आवेदन कर सकता है।	
144	kam-333	सुखलालपुरी / दगड़पुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 78 पर राशि रु० 101206 दी जा चुकी है।	---	प्लाट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लाट हेतु आवेदन कर सकता है।	
145	kam-334	गेंदपुरी / गना / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 167 पर राशि रु० 86044 दी जा चुकी है।	---	प्लाट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लाट हेतु आवेदन कर सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

146	kam-240	हीना / ओमप्रकाश / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
147	kam-239	अरविन्द / ओमप्रकाश / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
148	kam-238	देवकीबाई / गणेश / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को कृषि भूमि टापू मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 95 पर राशि रु0 16319 दी जा चुकी है।	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	
149	kam-237	कंचन / रमेश / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 96 पर राशि रु0 16646 दी जा चुकी है।	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	
150	kam-236	झवरचंद / हरचंद / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 97 पर राशि रु0 17723 दी जा चुकी है।	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

151	kam-235	केदारपुरी / देवपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को आबादी टापू मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक- 92 पर राशि रू0 113645 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.-83 रू0 9350 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को पुनर्वास स्थल इंधावड़ी सूची क्रं.-83 पर भूखण्ड क्रं.-89 प्रस्तावित किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
152	kam-234	मिथुन / प्रेमलाल / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रू. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक के पिता को एफआरएल मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-139 पर राशि रू0 20683 एवं पुनर्वास अनुदान एफआरएल क्रं.-71 रू0 43700 दी जा चुकी है।	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
153	kam-233	जालमपुरी / तेजपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक के पिता को आबादी टापू मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-147 पर राशि रू0 78195 एवं आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-125 रू0 18700 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को पुनर्वास सील इंधावड़ी सूची क्रं.-125 पर भूखण्ड क्रं.-129 प्रस्तावित किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
154	kam-243	गायत्रीबाई / ईश्वरगीर / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

155	kam-251	रोना / गजुपुरी / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
156	kam-264	मुकेश / आन्दराम / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
157	kam-263	दिनेश / चन्द्रगिरी / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
158	kam-262	संगिता / राधेश्याम / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
159	kam-261	रमाबाई / बाबुगिरी / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

160	kam-260	मीनाबाई / राधेश्याम / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
161	kam-259	मिथुन / प्रेमलाल / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
162	kam-258	कंचबाई / महेश / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
163	kam-257	लताबाई / सखाराम / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
164	kam-314	नानकराम / कन्हैया / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 16 पर राशि रु० 18700 दी जा चुकी है।	---	प्लाट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लाट हेतु आवेदन कर सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

165	kam-256	मुन्नापुरी / बुखारपुरी / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम क्रमांक 74 पर पोते के रूप में दर्ज है। निरस्त किया जाता है।	
166	kam-255	रतनपुरी / बोखारपुरी / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
167	kam-254	टिना / गजुपुरी / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
168	kam-250	महेश / बंसतीबाई / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
169	kam-252	दिनेश / आन्नदराम / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

170	kam-232	राधेश्याम / दयाराम / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
171	kam-315	दिलीपपुरी / मनोहर / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 32 पर राशि रू० 9350 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
172	kam-316	प्रकाश / फत्तु / कामनखेड़ा	कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान रू० 18700 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
173	kam-317	निलेशपुरी / राजेशपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 11 पर राशि रू० 486174 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.-14 रू० 9350 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
174	kam-319/1	रामप्रकाश / आन्दराम / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 129 पर राशि रू० 48612 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

175	kam-362	संगीता / मोहन / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 125 पर राशि रू० 2206 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.-77 रू० 76850 की राशि दी जा चुकी है।	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
176	kam-32	यशवंत / खुबाजी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.121 रू० 68000 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
177	kam-352/1	दुर्गाबाई / श्रवणपुरी / घोघलगाँव	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
178	kam-321	सोनु / सकाराम / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 07 पर राशि रू० 18700 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
179	kam-322	सत्यनारायण / रतनभारती / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 154 पर राशि रू० 72112 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

180	kam-323	दिनेश / रतनभारती / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 117 पर राशि रु० 106856 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
181	kam-324	गेदपुरी / सुखदेवपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 89 पर राशि रु० 182642 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
182	kam-325	जितेन्द्रपुरी / महेशपुरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	---	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	
183	kam-253	आन्दराम / धनना / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
184	kam-82	जितेन्द्रपुरी / कैलाशपुरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-129 पर राशि रु० 9350 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

185	KAM-21	जयमल / बालू / कामनखेड़ा	अनुदान देने बाबत।	मुआवजा गणना क्रमांक-105 (कृषि भूमि टापू) पर राशि रु. 11069/- का भुगतान किया गया	---	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में दर्ज नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती।	
186	kam-91	पिंकी / सरदार / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
187	kam-90	मनोज / धन्नालाल / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-45 पर राशि रु0 74121 दी जा चुकी है।	---	आवेदन निरस्त योग्य।	
188	kam-89	लखन / धन्नालाल / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-45 पर राशि रु0 74121 दी जा चुकी है।	---	आवेदन निरस्त योग्य।	
189	kam-88	जसूबाई / गुलाबपुरी / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

190	kam-86	कैलाश / रामसिंह / कामनखेड़ा	घर का मुआवजा रु. 25000 से कम बनने पर कंडिका-7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 107 पर राशि रु0 8250 दी जा चुकी है।	---	घर का मुआवजा रु. 25000 से कम बनने पर कंडिका-7.2 के अनुसार शेष राशि देना उचित होगा।	
191	kam-85	बीनाबाई / बेवा पदम / कामनखेड़ा	घर का मुआवजा रु. 25000 से कम बनने पर कंडिका-7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-132 पर राशि रु0 19845 दी जा चुकी है।	---	इंदिरा आवास योजना के तहत पुनर्वास नीति की कंडिका 7.2 के अन्तर की राशि शेष राशि दिया उचित होगा।	
192	kam-93	संतोष / चदरराव / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-118 पर राशि रु0 40490 दी जा चुकी है।	---	आवेदन निरस्त करने योग्य।	
193	kam-83	जितेन्द्रपुरी / कैलाशपुरी / कामनखेड़ा	कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान टापू क्रमांक-129 पर राशि रु0 9350 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
194	kam-94	जगदीश / कृष्णापुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-88 पर राशि रु0 32791 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

195	kam-81	रोहितपुरी / सरदारपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को जीआरए द्वारा पारित आदेश के तहत पुनर्वास अनुदान क्रं.-27 रु0 93000 दी जा चुकी है।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा आवेदक के प्रकरण क्र 24802 दिनांक 18.06.09 से मान्य किया गया।	जीआरए के आदेश अनुसार रु. 93000 पुनर्वास अनुदान भुगतान किया गया है। अतः कंडिका-7.1 का आवेदन निरस्त किया जाता है।	
196	kam-80	कैलाशपुरी / सुमेरपुरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-127 पर राशि रु0 9350 रु0 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है	
197	kam-79	गजेन्द्रपुरी / कैलाशपुरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-128 पर राशि रु0 9350 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है	
198	kam-78	कल्याण / हुकुमपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-103 रु0 68000 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास सिलि गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
199	kam-77	कल्याणपुरी / हुकुमपुरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-103 पर राशि रु0 68000 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

200	KAM-3	नानकराम / कन्हैया / कामनखेड़ा	2 पुत्र के अनुदान नहीं मिलने बाबत	क्र. 16 पर कंडिका 6.1 की राशि 18700 दी गई। अवार्ड ग.क्र. 36 पर मुआवजा 81352 रू० भुगतान किया गया।	—	ग्राम की संशोधित एफ.आर. एल. परिवार सूची क्र. 11 पर धारा-4 के प्रकाशन दिनांक 8/6/07 में आवेदक के पुत्र गणेश की उम्र 17 वर्ष दर्ज है तथा पुत्र मुकेश की उम्र 15 वर्ष दर्ज है, इसलिए पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
201	kam-76	देवेन्द्रपुरी / गणेशपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-68 रू० 68000 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
202	kam-75	भोजपुरी / गोरेलाल / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
203	kam-84	रमाबाई / कैलाशगिरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-36 रू० 68000 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

204	KAM-10	सीताराम / नाना / कामनखेड़ा	अनुदान विशेष पैकेज बाबत।	---	पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है	आवेदक के नाम से मकान एवं भूमि का अर्जन नहीं किया गया तथा ग्राम की अंतिम परिवार सूची में नाम नहीं होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं बनती है	
205	kam-386	सुरेन्द्रपुरी / भादरपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 51 पर राशि रु० 10763 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.-49 रु० 68000 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
206	KAM-19	भागवती / चैनभारती / कामनखेड़ा	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	कृषि भूमि टापू पर गणना नंबर-123 पर पिता के नाम से राशि रु. 243774/- का भुगतान किया गया।	---	मकान का अर्जन नहीं होने से ग्राम की परिवार सूची में नाम दर्ज नहीं किया गया।	
207	KAM-18	शंकर / चैनभारती / कामनखेड़ा	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	कृषि भूमि टापू पर गणना नंबर-123 पर पिता के नाम से राशि रु. 243774/- का भुगतान किया गया।	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है।	
208	KAM-16-7	हिम्मतपुरी / गेनपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास अनुदान की कंडिका 7.1 के अनुसार प्लॉट मिलने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना नंबर 1 पर राशि रु. 43700/- का भुगतान किया गया।	---	आवेदक को पुनर्वास स्थल गोयाड़ा इंधावड़ी एवं बीड़ पर प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

209	KAM-15	उमा / हिम्मतपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के अनुसार प्लॉट दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. -3 पर राशि रु. 43700/- का भुगतान किया गया।	---	पुनर्वास स्थल गोयड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ के लिये आवेदक आवेदन कर सकता है।	
210	KAM-14	महेश / जगदीशपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने संबंधी।	आवेदक के दादा के नाम से कृषि भूमि टापू में गणना नंबर 166 पर राशि रु. 39221/- एवं संशोधित पुनर्वास अनुदान के गणना क्र 08 पर आवेदक को 68000 का भुगतान किया गया।	आवेदक को परिवार सूची में नाम दर्ज नहीं होने के कारण प्लॉट की पात्रता नहीं बनती।	आवेदक पुनर्वास पुनर्वास स्थल गोयड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ हेतु प्लॉट के लिये आवेदन कर सकता है।	
211	KAM-13	जगदीशपुरी / बाबूपुरी / कामनखेड़ा	अनुदान विशेष पैकेज बाबत।	आवेदक के पिता के नाम से मुआवजा गणना क्र.-166 पर राशि रु. 39821/- दिया गया। संशोधित पुनर्वास अनुदान के गणना क्र 07 पर आवेदक को 68000 का भुगतान किया गया।	---	शिकायत निवारण प्राधिकरण के आदेश क्र.-24599 दिनांक 29.05.09 के अनुसार आवेदन अमान्य किया गया। 2.5 लाख अनुदान पैकेज दिया जाना योग्य नहीं अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	
212	kam-92	प्रभु / चंदरराव / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

213	KAM-11	जामसिंह / भारतसिंह / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख का विशेष अनुदान पैकेज दिये जाने बाबत।	आवेदक को कृषि भूमि मुआवजा गणना नंबर 106 पर मकान की राशि रु. 34755 एवं पुनर्वास अनुदान गणना नंबर 18 पर राशि रु. 100223 का भुगतान किया गया	---	आवेदक को विशेष अनुदान पैकेज राशि रु. 2.5 लाख दिया जाना संभव नहीं है।	
214	kam-73	मदनगीर / दरियावगिर / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
215	KAM-373	विरेन्द्रसिंह / सूरजसिंह / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्र.-37 रु0 9350 दी जा चुकी है।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा आवेदक के प्रकरण क्र 24797 दिनांक 90.06.09 से मान्य किया गया।	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावडी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
216	kam-87	गोरेलाल / भावसिंग / कामनखेड़ा	मेरे घर के भू-अर्जन करने बाबत।	---	---	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

217	kam-269	नारायणपुरी / सुखदेवपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को आबादी टापू मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-122 पर राशि रु० 9350 रु० दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
218	kam-99	अनिल / शंकरलाल / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
219	kam-98	लक्ष्मीबाई / मायाबाई / गोकुल / फत्तुगीर / कामनखेड़ा	अधिग्रहण पश्चात् शेष बची कृषि भूमि पर रास्ता बनवाने बाबत।	समस्त मुआवजा भुगतान किया गया है।	---	उपरोक्त आवेदन भू-अर्जन कार्यालय से संबंधित नहीं है।	
220	kam-97	रामश्वरपुरी / कृष्णापुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं. 79 रु० 18700 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
221	kam-96	हेमराज / नाथुराम / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	---	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

222	kam-95	दिनेशपुरी / उमरावपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-34 पर राशि रू0 277103 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास सिल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
223	KAM-12	धूरसिंह / झेतारिया / कामनखेड़ा	विशेष अनुदान पैकेज 2.5 लाख रू. की मांग	मुआवजा गणना क्र.- 112 पर राशि रू. 7666/- का भुगतान किया गया।	----	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. -51 पर राशि रू. 105334/- का भुगतान किया गया। आवेदक को पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं बनती	
224	kam-46	रामेश्वर / ठाकुर / कामनखेड़ा	मेरे घर का भू-अर्जन करने बाबत।	आवेदक को ग्राम घोघलगॉव मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-137 पर राशि रू0 79740 दी जा चुकी है।	---	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	
225	kam-57	संतोष / तेजबन / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-1 रू0 68000 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास सिल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
226	kam-56	बड़नबाई / बेवा देवबन / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-3 रू0 9350 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

227	kam-55	दिपीका / विष्णुपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं. 42 रू० 9350 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
228	kam-54	उषाबाई / गेंदपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को कृषि टापू पुनर्वास अनुदान क्रं.-9 रू० 68000 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास सील गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
229	kam-52	पिंकी / जितेन्द्र / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-9 रू० 18700 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास सील गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
230	kam-51	रामूबाई / रेवागीर / कामनखेड़ा	मेरे घर के भू-अर्जन करने बाबत।	---	---	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	
231	kam-50	देवपुरी / हीरापुरी / कामनखेड़ा	जमीन एवं कुआँ छुट जाने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-93 पर राशि रू० 331975 दी जा चुकी है।	---	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

232	kam-74	दिलीपपुरी / उमरावपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-36 रू० 18700 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
233	kam-47	आजुबाई / महेशपुरी / कामनखेड़ा	मेरे घर के भू-अर्जन करने बाबत।	---	---	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	
234	kam-60	समोतीबाई / नारायण भारती / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
235	kam-45	जसोदाबाई / पोपटराम / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
236	kam-44	सुमनबाई / बेवा फत्तु / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को ग्राम केलवाखुर्द मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-37 पर राशि रू० 12700 एवं 21435 दी जा चुकी है।	---	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

237	kam-43	मिथुन / हीरालाल / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 151 पर राशि रू० 42063 दी जा चुकी है।	---	परिवार सूची में नाम नहीं होने से निरस्त योग्य।	
238	kam-42	कोमल / रमेश / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-63 रू० 109625 दी जा चुकी है।	---	भखूण्ड कंडिका-7.1 की राशि रू. 20,000 का भुगतान कर दिया गया है। आवेदन निरस्त किया जाना प्रस्तावित है।	
239	kam-41	राकेश / दिवानपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक पुनर्वास अनुदान क्रं.-86 रू० 9350 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
240	kam-40	दिवानपुरी / भोलुपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 57 पर राशि रू० 117171 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.-51 रू० 9350 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
241	kam-39	मदन / दिवानपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-52 रू० 9350 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

242	kam-387	देवपुरी / हीरापुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 93 पर राशि रु० 111212 एवं पुनर्वास अनुदान क्र 82 रु० 9350 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
243	kam-49	रूपेन्द्रपुरी / महेशपुरी / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
244	kam-61	सुनिल / सखाराम / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-6 रु० 18700 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
245	KAM-21-1	जितेन्द्र / केरु / कामनखेड़ा	परिवार सूची में नाम शामिल कर अनुदान देने बाबत।	आवेदक के पिता केरु के नाम से संयुक्त खाते में कृषि भूमि अवाईड गणना नंबर 41 पर राशि रु. 384442 एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक नंबर 8 पर राशि रु. 18700 का भुगतान किया गया।	----	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
246	kam-72	कालुगिरी / कैलाशगिरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-38 रु० 68000 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

247	kam-69	मोनूबाई / महेश / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-147 रु० 9350 दी जा चुकी है।	---	प्लाट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लाट हेतु आवेदन कर सकता है।	
248	kam-68	धन्नुगिरी / चंदरगिरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.21 रु० 68000 दी जा चुकी है।	---	प्लाट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लाट हेतु आवेदन कर सकता है।	
249	kam-67	कैलाशभारती / नारायणभारती / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-133 रु० 18700 दी जा चुकी है।	---	प्लाट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लाट हेतु आवेदन कर सकता है।	
250	kam-66	ज्योतिबाई / महेश / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-3 रु० 9350 दी जा चुकी है।	---	प्लाट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लाट हेतु आवेदन कर सकता है।	
251	KAM-2	नरतमपुरी / पूरणपुरी / कामनखेड़ा	मकान के बदले प्लाट बाबत	अवार्ड खाता क्र० 76 पर कृषि भूमि की मुआवजा राशि 8748 रु० भुगतान की गई।	-	तहसीलदार पुनासा से सम्बंधित	
252	kam-64	संतोषपुरी / डोंगरपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.- 58 रु० 18700 दी जा चुकी है।	---	प्लाट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लाट हेतु आवेदन कर सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

253	kam-58	दीपकबन / सांतेषबन / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-2 रू0 68000 दी जा चुकी है।	---	प्लाट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लाट हेतु आवेदन कर सकता है।	
254	kam-62	गोविंद / भगवानपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-6 रू0 9350 दी जा चुकी है।	---	प्लाट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लाट हेतु आवेदन कर सकता है।	
255	kam-59	विजय / देवबन / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-4 रू0 9350 दी जा चुकी है।	---	प्लाट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लाट हेतु आवेदन कर सकता है।	
256	KAM-3-8	रावजी / टेडू / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में 20000 का विशेष अनुदान बाबत	कृषि अवार्ड क्र० 117 पर आवेदक के नाम से मकान का मुआवजा 17967 रू0 भुगतान किया गया।		अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं है।	
257	KAM-4-8	छेतारिया / बालू / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में 20000 का विशेष अनुदान बाबत	पुत्र के नाम से कृषि अवार्ड क्र० 16 पर 154930 रू0 का भुगतान किया गया।	-	अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं है।	
258	KAM-5-8	जामल / नाथु / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में 20000 का विशेष अनुदान बाबत	पुत्र के नाम से अवार्ड क्र० 111 पर 15583 रू0 का मकान का मुआवजा दिया गया।	-	आवेदक का नाम अंतिम परिवार सूची में दर्ज नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

259	KAM-6-8	ठैंडा / गोटू / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में 20000 का विशेष अनुदान बाबत	—	—	आवेदक के नाम से मकान एवं कृषि भूमि का अर्जन नहीं हुआ है।	
260	kam-360	गजानंद / गणपत / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 126 पर राशि रु० 45227 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं. 69 रु० 93000 दी जा चुकी है।	—	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	
261	KAM-8-8	टेमरिया / नहाला / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में 20000 का विशेष अनुदान बाबत	पुत्र के नाम से अवार्ड क्र० 18 पर मुआवजा राशि 118276 रु० का भुगतान किया गया।	—	आवेदक का नाम अंतिम परिवार सूची में दर्ज नहीं है।	
262	kam-353	रमेश / पदम / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 142 पर राशि रु० 4015 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.— 38 रु० 108985 दी जा चुकी है।	—	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	
263	kam-139	मगन / बेरसिंह / कामनखेड़ा	मेरे घर के भू-अर्जन करने बाबत।	—	—	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

264	kam-63	रमेश / डोगरपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-59 रु0 18700 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
265	KAM-530	संजय / हेमराज / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना नंबर 27 पर राशि रु. 42500 का भुगतान किया गया।	----	वर्तमान में एनएचडीसी के पास जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है।	
266	KAM-20	मनीषपुरी / राजपुरी / कामनखेड़ा	परिवार सूची में नाम शामिल कर अनुदान देने बाबत।	आवेदक के नाम से आबादी अवार्ड गणना नंबर 55 पर राशि रु. 147043 का भुगतान किया गया	----	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम क्रमांक 34 पर दर्ज होकर आवेदक की उम्र 16 अंकित होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
267	KAM-539	श्रणवपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कण्डिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	----	----	आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कोई भी दस्तावेज एवं जाति तथा पिता के नाम का उल्लेख नहीं होने से जानकारी दी जाना संभव नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

268	KAM-538	मुकेश / रामु / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक के नाम से टापू कृषि भूमि अवार्ड गणना पत्रक क्रमांक-101 पर राशि रु. 39666 का भुगतान किया गया।	---	वर्तमान में एनएचडीसी के पास जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है।	
269	KAM-537	रमेश / पदम / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की केंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदक को अवाड गणना नंबर 142 पर राशि रु. 4015 एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक नंबर 61 पर राशि रु. 108985 का भुगतान किया गया है। जिसमें भूखण्ड की राशि 20000 शामिल है।	---	आवेदन निरस्ती योग्य है।	
270	KAM-536	निर्मलाबाई / राजेन्द्र / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक के नाम से आबादी टापू भूमि अवार्ड गणना पत्रक क्रमांक-44 पर राशि रु. 87140 एवं पुनर्वास अनुदान गणना क्रमांक- 43 पर राशि रु. 68000 का भुगतान किया गया।	---	वर्तमान में एनएचडीसी के पास जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

271	KAM-535	राजू / हेमराज / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना नंबर 26 राशि रु. 68000 का भुगतान किया गया।	---	वर्तमान में एनएचडीसी के पास जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है एवं शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा आवेदक के प्रकरण क्र 29887 दिनांक 25.05.09 से अमान्य किया गया।	
272	KAM-534	राजू सराठे / --- / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कण्डिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	---	---	आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कोई भी दस्तावेज एवं जाति तथा पिता के नाम का उल्लेख नहीं होने से जानकारी दी जाना संभव नहीं है।	
273	KAM-543	मायाबाई / फत्तुगिरी / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	आवेदिका के नाम से बीडब्यूलूएल कृषि भूमि अवार्ड गणना पत्रक क्रमांक-1 पर राशि रु. 62058 एवं विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रु. 11 का भुगतान किया गया।	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदिका का नाम नहीं होने से अ	
274	KAM-531	रमेशचन्द्र / श्यामराव / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कण्डिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदक के नाम से कृषि भूमि अवार्ड गणना पत्रक क्रमांक-47 पर राशि रु. 23913 का भुगतान किया गया	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

275	KAM-544	महापुरी / जगदीशपुरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को आबादी टापू अवार्ड गणना नंबर 177 पर राशि रु. 1080836 का भुगतान किया गया।	----	वर्तमान में एनएचडीसी के पास जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है।	
276	KAM-529	भगवानपुरी / ---- / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	----	----	आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कोई भी दस्तावेज एवं जाति तथा पिता के नाम का उल्लेख नहीं होने से जानकारी दी जाना संभव नहीं है।	----
277	KAM-528	श्रणवपुरी / ---- / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	----	----	आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कोई भी दस्तावेज एवं जाति तथा पिता के नाम का उल्लेख नहीं होने से जानकारी दी जाना संभव नहीं है।	
278	KAM-527	भगवानपुरी / ---- / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	----	----	आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कोई भी दस्तावेज एवं जाति तथा पिता के नाम का उल्लेख नहीं होने से जानकारी दी जाना संभव नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

279	KAM-526-1	दिलीप / कैलाश / कामनखेड़ा	मुआवजा व अनुदान राशि एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबत।	---	---	आवेदक डूब क्षेत्र का निवासी नहीं है अतः अनुदान एवं प्लॉट की पात्रता नहीं बनती आवेदन निरस्ती योग्य है।	
280	KAM-526	पद्मपुरी / भैरुपुरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना नंबर 107 पर राशि रु. 9350 का भुगतान किया गया।	---	वर्तमान में एनएचडीसी के पास जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है।	
281	KAM-525-1	सरलाबाई / पंढरी / कामनखेड़ा	मुआवजा व अनुदान राशि एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबत।	आवेदिका के पति के नाम से टापू अवार्ड गणना पत्रक क्रमांक- 1 पर राशि रु. 55803 का भुगतान किया गया	---	आवेदक डूब क्षेत्र का निवासी नहीं है अतः अनुदान एवं प्लॉट की पात्रता नहीं बनती आवेदन निरस्ती योग्य है।	
282	KAM-525	मन्जुबाई / --- / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	---	---	आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कोई भी दस्तावेज एवं जाति तथा पिता/पति के नाम का उल्लेख नहीं होने से जानकारी दी जाना संभव नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

283	KAM-524-1	पंढरी / शंकर / कामनखेड़ा	मुआवजा व अनुदान राशि एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबत।	आवेदक के नाम से टापू अवार्ड गणना पत्रक क्रमांक-1 पर राशि रु. 55803 का भुगतान किया गया		आवेदक डूब क्षेत्र का निवासी नहीं है अतः अनुदान एवं प्लॉट की पात्रता नहीं बनती आवेदन निरस्ती योग्य है।	
284	KAM-532	रामप्रकाश / आनंदराम / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक कृषि भूमि अवार्ड गणना क्रमांक-61 पर राशि रु. 48509 का भुगतान किया गया।	---	वर्तमान में एनएचडीसी के पास जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है।	
285	KAM-552	संजयपुरी / --- / कामनखेड़ा	मकान के अर्जन संबंधी	---	---	आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन से कोई भी दस्तावेज एवं जाति तथा पिता के नाम का उल्लेख नहीं होने से जानकारी दी जाना संभव नहीं है।	
286	KAM-509	मुकेश / रामू / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदक को कृषि भूमि टापू अवार्ड गणना नंबर 101 पर राशि रु. 39666 का भुगतान किया गया।		आवेदक डूब क्षेत्र का निवासी नहीं होने से प्लॉट की पात्रता नहीं बनती है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

287	KAM-501	रामेश्वर / देवराम / कामनखेड़ा	अनुदान राशि भुगतान बाबत	आवेदक को आवार्ड आबादी गणना नंबर 2 पर राशि रु. 52167 एवं विशेष पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक -28 पर राशि रु. 68000 का भुगतान किया जा चुका है।	-	आवेदक द्वारा पूर्व में अनुदान प्राप्त किया जा चुका है। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	
288	KAM-510	रतन भारती / गुलाब भारती / कामनखेड़ा	पट्टा दिये जाने बाबत	आवेदक को टापू अवार्ड गणना नंबर 20 पर राशि रु. 19732 एवं 42238 का एवं पुनर्वास अनुदान गणना क्रमांक -95 पर राशि रु. 9350 का भुगतान किया गया।		प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावडी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
289	KAM-309	गजानंद / गणपत / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को अनुदान गणना पत्रक क्र० 69 पर राशि 93000 दी जा चुकी है।		प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गायडा, इंधावडी व बीड़ में आवेदन कर सकता है।	
290	KAM-91	रमेशपुरी / मुस्तकपुरी / कामनखेड़ा	मुआवजा व अनुदान एवं प्लॉट बाबत	---	---	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा आवेदक के प्रकरण क्र 24653 दिनांक 24.04.09 से अमान्य किया गया आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

291	KAM-555-1	ओमपुरी / ---- / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लट दिये जाने बाबत।	----	----	आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कोई भी दस्तावेज एवं जाति तथा पिता के नाम का उल्लेख नहीं होने से जानकारी दी जाना संभव नहीं है।	
292	KAM-555	देवचंद / नतु / कामनखेड़ा	अनुदान छुट जाने बाबत।	----	----	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा आवेदक के प्रकरण क्र 24602 दिनांक 09.06.09 से अमान्य किया गया। आवेदन निरस्ती योग्य है।	
293	KAM-541	मदनपुरी / दिवानपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कण्डिका 7.1 के तहत प्लट दिये जाने बाबत।	आवेदक का नाम टापू आबादी अवार्ड गणना नंबर 58 पर राशि रु. 133326 का भुगतान किया गया है।	----	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
294	KAM-553	शिकन्दरपुरी / ---- / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लट दिये जाने बाबत।	----	----	आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कोई भी दस्तावेज एवं जाति तथा पिता के नाम का उल्लेख नहीं होने से जानकारी दी जाना संभव नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

295	KAM-523	मदनपुरी / --- / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	---	---	आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कोई भी दस्तावेज एवं जाति तथा पिता के नाम का उल्लेख नहीं होने से जानकारी दी जाना संभव नहीं है।	
296	KAM-551	राजेश / - / कामनखेड़ा	मकान अर्जन किये जाने संबंधी	---	---	आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन से कोई भी दस्तावेज एवं जाति तथा पिता के नाम का उल्लेख नहीं होने से जानकारी दी जाना संभव नहीं है।	
297	KAM-550-1	लक्ष्मीबाई / गोकुल भारती / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदिका के नाम से बीडब्यूलएल कृषि भूमि अवार्ड गणना पत्रक क्रमांक-2 पर राशि रु. 87366 एवं विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रु. 19 का भुगतान किया गया।	---	ग्राम की आबादी भूमि डूब प्रभावित नहीं होने से परिवार सूची नहीं बनाई गई।	
298	KAM-550	बसुबाई / गोपालपुरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदिका को बसकरबाई पति गोपाल के नाम से टापू कृषि अवार्ड गणना पत्रक क्रमांक-34 पर राशि रु. 111726 एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक-14 राशि रु. 68000 का भुगतान किया गया।	---	वर्तमान में एनएचडीसी के पास जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

299	KAM-549	आनंदराम / गेंदालाल / कामनखेड़ा	मकान अर्जन किये जाने संबंधी	---	---	आवेदक के आवेदन के संबंध में लेख है कि, प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	
300	KAM-548	पदमपुरी / भैरुपुरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक के नाम से टापू आबादी भूमि अवाई गणना पत्रक क्रमांक 136 राशि रु. 45065 का भुगतान किया गया।	---	वर्तमान में एनएचडीसी के पास जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है।	
301	KAM-547	मनीषा / ओमपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कण्डिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदिका का नाम टापू आबादी अवाई गणना नंबर 161 पर राशि रु. 69613 तथा शि.नि.प्रा. के प्र.क्र.24645 दिनांक 21/04/09 के परिपालन में राशि रु.23700 का भुगतान किया गया है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावडी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
302	KAM-546	नानकराम / श्यामु / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	---	---	वर्तमान में एनएचडीसी के पास जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

303	KAM-545	बेरसिंह / केरिया / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को अवार्ड गणना नंबर 109 पर राशि रु. 21123 का भुगतान किया गया।	---	वर्तमान में एनएचडीसी के पास जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है।	
304	KAM-554	केदारपुरी / देवपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कण्डिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदक के नाम से अवार्ड गणना पत्रक क्रमांक-92 पर राशि रु. 113645 का भुगतान किया गया।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
305	KAM-502	रूपा / दिनेशराव / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	आवेदिका डूब क्षेत्र की निवासी नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है।	
306	KAM-512	बसुबाई / गोपलपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कण्डिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदिका बसकरबाई पति गोपाल के नाम से टापू कृषि अवार्ड गणना पत्रक क्रमांक-34 पर राशि रु. 111726 एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक-14 राशि रु. 68000 का भुगतान किया गया।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
307	KAM-511-1	जितेन्द्र / केरु / कामनखेड़ा	आवेदक की पैतृक संपत्ति में नाम शामिल करने बाबत।	---	---	तहसीलदार स्तर पर कार्यवाही की जाना उचित होगा।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

308	KAM-511	अनिलगिरी / किशोरगिरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लट दिये जाने बाबत।	आवेदक को शिकायत निवारण प्राधिकरण भोपाल द्वारा उनके मान्य प्रकरण क्रमांक- 24667 दिनांक 24.04.09 के परिपालन में आवेदक को राशि रु. 88000 का भुगतान चेक क्रमांक-42050 दिनांक 04.06.09 से किया गया।	---	आवेदन निरस्ती योग्य है।	
309	KAM-508	गंगाबाई / मोहन / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	आवेदिका के नाम से अवार्ड गणना पत्रक क्रमांक-111 पर राशि रु. 142161 का भुगतान किया गया।	---	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा आवेदक के प्रकरण क्र 24654 दिनांक 26.03.09 से अमान्य किया गया। आवेदन निरस्ती योग्य है।	
310	KAM-507	राधाबाई / लक्ष्मणगिरी / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	आवेदिका के नाम से अवार्ड गणना पत्रक क्रमांक-174 पर राशि रु. 223055 का भुगतान किया गया।	---	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा आवेदक के प्रकरण क्र 24580 दिनांक 12.05.09 से अमान्य किया गया। आवेदन निरस्ती योग्य है।	
311	KAM-506	फूलबंद / बोंदरबंद / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक के नाम से अवार्ड गणना पत्रक क्रमांक-108 पर राशि रु. 63585 का भुगतान किया गया।	---	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा आवेदक के प्रकरण क्र 24612 दिनांक 19.06.09 से अमान्य किया गया। आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

312	KAM-505	मनीषपुरी, एवं अन्य / ---- / कामनखेड़ा	ट्रांसफरर्मर लगाने बाबत् एवं रास्ता बनवाने बाबत्	----	----	आवेदकों द्वारा ट्रांसफरर्मर लगाने बाबत् एवं रास्ता बनवाने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है जो इस कार्यालय के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है।	
313	KAM-524	शिकन्दरपुरी / ---- / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	----	----	आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कोई भी दस्तावेज एवं जाति तथा पिता के नाम का उल्लेख नहीं होने से जानकारी दी जाना संभव नहीं है।	
314	KAM-503	बाबू / दशरत / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक के नाम से अवाई गणना नंबर 122 पर राशि रु. 70274 एवं पुनव्यस अनुदान गणना नंबर 72 पर राशि रु. 76850 का भुगतान किया गया।	----	वर्तमान में एनएचडीसी के पास जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है।	
315	KAM-513-1	प्रकाश / तुलाराम / कामनखेड़ा	मुआवजा एवं अनुदान व प्लाट प्रदाय करने बाबत्।	आवेदक के पिता को अवाई गणना पत्रक क्रमांक-59 राशि रु. 103815 का भुगतान किया गया।	----	आवेदक स्वयं के नाम से किसी भी परिसंपत्ति का प्रस्ताव प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से प्राप्त नहीं हुआ है। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

316	KAM-500	प्रभा भरती / गोकुल भारती / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदिका की माता के नाम से अर्वाड गणना नंबर 2 पर राशि रु. 87366 एवं विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रु. 19 का भुगतान किया गया।	---	आवेदिका डूब क्षेत्र की निवासी नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है।	
317	KAM-28	परसराम / लक्ष्मण / कामनखेड़ा	मकान का अर्जन करने बाबत्	---	---	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा आवेदक के प्रकरण क्र 24791 दिनांक 25.05.09 से अमान्य किया गया।	
318	KAM-27	राधेश्याम / कालू / कामनखेड़ा	मकान का अर्जन करने बाबत्	---	---	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा आवेदक के प्रकरण क्र 24792 दिनांक 25.05.09 से अमान्य किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

319	KAM-26	फत्तू गिरी / घिसा गिरी / कामनखेड़ा	मकान का अर्जन करने बाबत	आवेदक के नाम से कृषि अवार्ड गणना नंबर 99 पर राशि रु. 30988 का भुगतान किया गया। संसोधित एफ. आर.एल. कृषि भूमि अवार्ड गणना नंबर 9 पर संयुक्त रूप से कृषि भूमि का अर्जन किया गया है, जिसकी राशि रु. 36943 का भुगतान किया गया है।	---	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा आवेदक के प्रकरण क्र 24725 दिनांक 25.05.09 से अमान्य किया गया।	
320	KAM-25	रविन्द्र / दिवान / कामनखेड़ा	मकान का अर्जन करने बाबत	---	---	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	
321	KAM-451	कालु / चंदर / कामनखेड़ा	घर का मुआवजा 25,000 रु० से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत	-	-	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र कामनखेड़ा में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया। कंडिका 7.2 की पात्रता नहीं आती है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

322	KAM-23	कृष्ण / भाईराम / कामनखेड़ा	मकान का अर्जन करने बाबत	---	---	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	
323	KAM-22	सलिताबाई / जगदीशपुरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदिका के नाम से टापू आबादी अवार्ड गणना नंबर 81 पर 30131 एवं शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा मान्य प्रकरण क्र-27569 दिनांक 09.06.09 के परिपालन में आवेदक पुनर्वास अनुदान राशि रु. 93000 का भुगतान किया गया।	---	वर्तमान में एनएचडीसी के पास जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है।	
324	KAM-504-1	द्रोपती / खेमा / कामनखेड़ा	जमीन के बदले जमीन से संबंधित	आवेदिका को अवार्ड गणना नंबर 2 पर राशि रु. 9429 विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रु. 10861 का भुगतान किया गया	---	जमीन के बदले जमीन से संबंधित प्रकरण शिकायत निवारण प्राधिकरण में प्रचलित है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

325	KAM-517-1	संगीता / राधेश्याम / कामनखेड़ा	मुआवजा एवं अनुदान व प्लॉट प्रदाय करने बाबत।	---	---	आवेदिका या आवेदिका के पिता के नाम से कोई परिसंपत्ति का प्रस्ताव प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से प्राप्त नहीं हुआ है। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	
326	KAM-9-3	सोनू / हिम्मतगीर / कामनखेड़ा	अनुदान परिवार में उम्र कम दर्शानं बाबत	आवेदिका के पिता के नाम से अवार्ड क्र० 4 बी.डब्ल्यू.एल. में मकान का मुआवजा 113367 रू० का भुगतान किया गया है।	-	संशोधित एफआरएल सूची दिनांक 8.6.07 में स०क्र० 26 पर आवेदिका की उम्र 17 वर्ष दर्ज है। आवेदिका को अनुदान की पात्रता नहीं है।	
327	KAM-522-1	कैलाश / पंढरी / कामनखेड़ा	मुआवजा व अनुदान राशि एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबत।	आवेदक के पिता के नाम से टापू अवार्ड गणना पत्रक क्रमांक- 1 पर राशि रू. 55803 का भुगतान किया गया	---	आवेदक डूब क्षेत्र का निवासी नहीं है अतः अनुदान एवं प्लॉट की पात्रता नहीं बनती आवेदन निरस्ती योग्य है।	
328	KAM-522	ओमप्रकाश (पप्पू) / --- / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रू. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	---	---	आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कोई भी दस्तावेज एवं जाति तथा पिता के नाम का उल्लेख नहीं होने से जानकारी दी जाना संभव नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत							
329	KAM-521-1	गोपाल / सिताराम / कामनखेड़ा	मुआवजा व अनुदान राशि एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबत।	----	----	आवेदक डूब क्षेत्र का निवासी नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है।	
330	KAM-521	शंकरपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	----	----	आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कोई भी दस्तावेज एवं जाति तथा पिता के नाम का उल्लेख नहीं होने से जानकारी दी जाना संभव नहीं है।	
331	KAM-520	लक्ष्मीबाई / सीताराम / कामनखेड़ा	मुआवजा व अनुदान राशि एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबत।	----	----	आवेदक डूब क्षेत्र का निवासी नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है।	
332	KAM-519-2	जगदीश / सिताराम / कामनखेड़ा	मुआवजा व अनुदान राशि एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबत।	----	----	आवेदक डूब क्षेत्र का निवासी नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है।	
333	KAM-519-1	संतोष / आनंदराम / कामनखेड़ा	मकान अर्जन किये जाने संबंधी	आवेदक के नाम से कृषि भूमि अवार्ड गणना पत्रक क्रमांक-131 पर एक कच्चे मकान की मुआवजा राशि रु. 49552 एवं पुनर्वास अनुदान गणना राशि रु. 43700 का भुगतान किया गया।	----	उक्त विवरण अनुसार आवेदक के एक कच्चे मकान का अर्जन कर मुआवजा दिया गया है। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

334	KAM-512-1	रमशेपुरी / मुश्तपुरी / कामनखेड़ा	मुआवजा एवं अनुदान व प्लॉट प्रदाय करने बाबत।	आवेदक के नाम से अवार्ड आबादी टापू गणना क्रमांक-110 पर राशि रु. 139060 का भुगतान किया गया।	---	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा आवेदक के प्रकरण क्र 24653 दिनांक 24.04.09 से अमान्य किया गया।	
335	KAM-518	मीनाबाई / राधेश्याम / कामनखेड़ा	मुआवजा एवं अनुदान व प्लॉट प्रदाय करने बाबत।	---	---	आवेदिका या आवेदिका के पिता के नाम से कोई परिसंपत्ति का प्रस्ताव प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से प्राप्त नहीं हुआ है। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	
336	KAM-513	हेमराज / नाथू / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदक को टापू कृषि अवार्ड गणना नंबर 51 पर राशि रु. 110043 एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक नंबर 24 पर राशि रु. 68000 का भुगतान किया गया।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
337	KAM-517	केदारपुरी / देवपुरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना नंबर 83 पर राशि रु. 9350 का भुगतान किया गया।	---	वर्तमान में एनएचडीसी के पास जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

338	KAM-516-1	राधेश्याम / धनीराम / कामनखेड़ा	जमीन के बदले जमीन	आवेदक को अवार्ड गणना नंबर 83 पर राशि रु. 36810 एवं विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रु. 41960 का भुगतान किया गया।	---	जमीन के बदले जमीन से संबंधित प्रकरण शिकायत निवारण प्रधिकरण में प्रचलित है।	
339	KAM-516	जगदीश / पुरणपुरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को अवार्ड गणना नंबर 178 पर राशि रु. 73986 एवं पुनर्वास अनुदान गणना नंबर 159 पर राशि रु. 68000 का भुगतान किया गया	---	वर्तमान में एनएचडीसी के पास जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है।	
340	KAM-515-1	बनारसबाई / राजाराम / कामनखेड़ा	मुआवजा एवं अनुदान व प्लॉट प्रदाय करने बाबत।	---	---	आवेदिका या आवेदिका के पिता के नाम से कोई परिसंपत्ति का प्रस्ताव प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्रि नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से प्राप्त नहीं हुआ है। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	
341	KAM-515	अनिलगिरी / किशोरगिरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को शिकायत निवारण प्रधिकरण भोपाल द्वारा उनके प्रकरण क्रमांक-24667 दिनांक 24.04.09 से पारित मान्य आदेश के तहत राशि रु. 93000 का अनुदान दिया गया।	---	वर्तमान में एनएचडीसी के पास जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

342	KAM-514-1	नरसींग कोटवार / ---- / कामनखेड़ा	विशेष सहायता राशि प्रदान करने बाबत।	----	----	आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कोई भी दस्तावेज एवं जाति तथा पिता के नाम का उल्लेख नहीं होने से जानकारी दी जाना संभव नहीं है।	
343	KAM-514	दशरथ / नरसिंह / / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक के नाम से टापू भूमि अवार्ड गणना पत्रक क्रमांक-60 पर राशि रु. 58919 एवं पुनर्वास अनुदान राशि रु. 68000 का भुगतान किया गया।	----	वर्तमान में एनएचडीसी के पास जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है।	
344	KAM-523-1	प्रकाश / पंढरी / कामनखेड़ा	मुआवजा व अनुदान राशि एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबत।	आवेदक के पिता के नाम से टापू अवार्ड गणना पत्रक क्रमांक- 1 पर राशि रु. 55803 का भुगतान किया गया	----	आवेदक डूब क्षेत्र का निवासी नहीं है अतः अनुदान एवं प्लॉट की पात्रता नहीं बनती आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

345	KAM-519	गंगाराम / कृष्ण / कामनखेड़ा	मकान का अर्जन करने संबंधी	---	---	आवेदक के आवेदन के संबंध में लेख है कि, प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है एवं शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा आवेदक के प्रकरण क्र 24640 दिनांक 09.06.09 से अमान्य किया गया।	
346	kam-140	मजान / रायसिंह / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 161 पर राशि रु० 30184 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
347	Kam-371/3	लक्ष्मीबाई / सरवनपुरी / घोघलगाँव	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
348	kam-129	बजरंगपुरी / भवपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 133 पर राशि रु० 72072 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

349	kam-130	गेदपुरी / भावपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 133 पर राशि रु० 72072 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
350	kam-131	ललताबाई / भावपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 133 पर राशि रु० 72072 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
351	kam-132	भूरुबाई / सुजानगिरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	---	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	
352	kam-366	राजु / अनोखीपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 159 पर राशि रु० 43309 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.-140 रु० 9350 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
353	kam-366/3	सोनुबाई / काशीपुरी / घोघलगाँव	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

354	kam-133	संतोषपुरी / पुरणपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-75 रु0 68000 दी जा चुकी है।	---	प्लाट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लाट हेतु आवेदन कर सकता है।	
355	kam-134	लोकेशपुरी / कैलाशपुरी / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
356	kam-135	रावजी / बेटूजी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान 41 रु0 93000 दी जा चुकी है।	---	प्लाट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लाट हेतु आवेदन कर सकता है।	
357	kam-136	सपनाबाई / बह्मपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-25 रु0 9350 दी जा चुकी है।	---	प्लाट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लाट हेतु आवेदन कर सकता है।	
358	kam-137	चिताराम / कड़वा / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को एफआरएल पुनर्वास अनुदान क्रं. 33 रु0 18700 दी जा चुकी है।	---	प्लाट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लाट हेतु आवेदन कर सकता है।	
359	kam-127	पवन / ब्रह्मापुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-26 रु0 9350 दी जा चुकी है।	---	प्लाट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लाट हेतु आवेदन कर सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

360	kam-367	त्रिलोकभारती / रतनभारती / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 70 पर राशि रू० 756 दी जा चुकी है।	---	आवेदक का धारा-4 से 1 वर्ष पूर्व से निवासरत् न होने के कारण पात्रता नहीं है।	
361	kam-126	ताराबाई / अमरपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-84 रू० 68000 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
362	kam-368	सुनिता / बलिराम / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-144 रू० 68000 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
363	kam-369	विजय / कृष्णचंद / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-166 रू० 18700 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
364	kam-141	मीरालाल / नवलसिंह / कामनखेड़ा	मेरे घर के भू-अर्जन करने बाबत।	---	---	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

365	kam-142	छगन / बेरसिंग / कामनखेड़ा	मेरे घर के भू-अर्जन करने बाबत।	---	---	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्रि नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	
366	kam-37	जगन / बेतालसिंह / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान एफआरएल पत्रक क्रमांक 19 पर राशि रु0 93000 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है	
367	kam-370	रेमसिंग / नाकू / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-49 रु0 96153 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को भूखण्ड की राशि रु. 20000 का नगद भुगतान किया गया है।	
368	kam-144	आन्नदराम / पदम / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 85 पर राशि रु0 32195 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.-64 रु0 43700 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
369	kam-145	गिरजाबाई / दशराम / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-41 रु0 68000 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास सिल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

370	kam-371	कमल / तुकाराम / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-2 रु० 18700 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
371	kam-146	संतोष / आनंदराम / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 130 पर राशि रु० 40651 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.-64 रु० 43700 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
372	kam-147	बाबुपुरी / गेदपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-79 पर राशि रु० 61941 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं. 47 रु० 18700 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
373	kam-101	इन्दरसिंह / श्रीराम / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-1 पर राशि रु० 62058 दी जा चुकी है।	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	
374	kam-138	चेतराम / पुनमचंद / कामनखेड़ा	पुनर्वास अनुदान देने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

375	kam-113	राजपुरी / चंचलपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-133 रु० 9350 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
376	kam-100	सरिताबाई / कमल / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-40 पर राशि रु० 65271 दी जा चुकी है।	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	
377	kam-102	इन्दर / श्रीराम / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	---	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा आवेदक के प्रकरण क्र 24698 दिनांक 20.04.09 से अमान्य किया गया।	---	
378	kam-103	मिश्रीगिर / दशरथगिर / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-89 रु० 68000 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
379	kam-105	फकिरापुरी / नंदुपुरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-104 पर राशि रु० 61349 दी जा चुकी है।	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

380	kam-106	जगदीशपुरी / शंकरपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-111 रु0 9350 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
381	kam-364	जितेन्द्र / आशाराम / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 36 पर राशि रु0 68000 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
382	kam-107	मंगतीबाई / बेवा दशरथ / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-103 पर राशि रु0 159449 दी जा चुकी है।	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	
383	kam-108	संगीताबाई / कैलाशपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं. 37 रु0 68000 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
384	kam-109	नन्नुपुरी / शंकरपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं. 112 रु0 9350 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

385	kam-110	संजु / फत्तु / कामनखेड़ा	घर का मुआवजा रू. 25000 से कम बनने पर कंडिका-7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को मुआवजा कृषि टापू गणना पत्रक क्रमांक-70 पर राशि रू0 14924 दी जा चुकी है।	---	इंदिरा आवास के तहत पुनर्वास नीति की कंडिका-7.2 के अनुसार शेष राशि दिया जाना उचित है।	
386	KAM-202	मुकुंदपुरी / भगवानपुरी / कामनखेड़ा	प्लाट दिये जाने बाबत	अवार्ड टापू 181 पर मकान का मुआवजा 291048 रू0 भुगतान किया गया है। पुनर्वास अनुदान क्र० 163 पर 9350 रू0 भुगतान किए गए है।	-	इनपुन पुनर्वास स्थल पर भूखंड उपलब्ध नहीं है। आवेदक अन्य पुनर्वास स्थल गुयड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लाट हेतु आवेदन कर सकता है।	
387	kam-111	गोविन्दपुरी / भगवानपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-162 9350 रू0 दी जा चुकी है।	---	प्लाट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लाट हेतु आवेदन कर सकता है।	
388	kam-128	राधेश्याम / भगवानपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-106 रू0 18700 दी जा चुकी है।	---	प्लाट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लाट हेतु आवेदन कर सकता है।	
389	kam-365	आशाराम / शोभाराम / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 35 पर राशि रू0 68000 दी जा चुकी है।	---	प्लाट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लाट हेतु आवेदन कर सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

390	kam-372	ज्योति / रमेशचंद्र / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-03 रू0 9350 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
391	kam-114	अजय / कृष्णचंद्र / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-167 रू0 18700 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
392	kam-115	कमलगिरी / चंदरगिरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-114 रू0 68000 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
393	kam-116	सुनिलगिरी / कमलगिरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रू. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक के पिता के नाम से मुआवजा आबादी भूमि टापू गणना पत्रक क्रमांक-139 पर राशि रू0 45333 पुनर्वास अनुदान राशि रू. 68000 दी जा चुकी है।	-	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	
394	kam-117	सुनिलगिरी / कमलगिरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-116 रू0 68000 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

395	kam-118	निर्मलगिरी / कमलगिरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-115 रू0 68000 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
396	kam-119	जितेन्द्रपुरी / महेशपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को जी.आर.ए. क्रं. -59 म.नं.-66	---	आवेदक का प्रकरण जीआरए में निरस्त हो चुका है। आवेदक का नाम जीआरए की (अमान्य) सूची में होने से कोई अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
397	kam-120	गजपुरी / मांगीलाल / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
398	kam-121	कन्हैया भारती / बाबू भारती / कामनखेड़ा	मेरे घर के भू-अर्जन करने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-7 पर राशि रू0 315905 दी जा चुकी है।	---	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	
399	kam-122	भागवतीबाई / पुरणपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-74 रू0 68000 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

400	kam-123	भीकूबाई / खेमा / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
401	kam-124	गौतमपुरी / ब्रम्हपुरी / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
402	kam-125	नानूबाई / ब्रहपुरी / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
403	KAM-7-8	सिरवारी / मीटू / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में 20000 का विशेष अनुदान बाबत	भाई के नाम से अवार्ड क्र० 108 पर कृषि का मुआवजा 28569 रु० भुगतान किया गया		आवेदक का नाम अंतिम परिवार सूची में स०क्र० 23 पर मां के साथ पुत्र के रूप में दर्ज है।	
404	kam-179	रामलाल / प्रेमलाल / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	---	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

405	kam-164	मनोज / धन्नलाल / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-10 रू0 68000 दी जा चुकी है।	---	प्लाट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लाट हेतु आवेदन कर सकता है।	
406	kam-148	लखन / चेताराम / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक के पिता के नाम पर मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 58 पर राशि रू0 43700 दी जा चुकी है।	---	प्लाट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लाट हेतु आवेदन कर सकता है।	
407	kam-166	संगीता / धन्नलाल / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-8 रू0 68000 दी जा चुकी है।	---	प्लाट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लाट हेतु आवेदन कर सकता है।	
408	kam-167	सेवंतीबाई / जयराम / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को आबादी एफआरएल मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-3 पर राशि रू0 27947 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.- 30 रू0 68000 दी जा चुकी है।	---	प्लाट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लाट हेतु आवेदन कर सकता है।	
409	kam-168	मायाबाई / जयराम / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक की माँ के नाम से मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-03 पर राशि रू0 27947 एवं पुनर्वास अनुदान एफआरएल क्रं.- 31 रू0 68000 दी जा चुकी है।	---	प्लाट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लाट हेतु आवेदन कर सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

410	kam-169	जीवंतीबाई / धन्नालाल / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को एफआरएल मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-45 पर राशि रू० 74121 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.- 7 रू० 68000 दी जा चुकी है।	--	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
411	kam-170	विकासगिरी / भगवानगिरी / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	--	--	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
412	kam-171	खेमा / भुवान / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	--	--	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
413	kam-172	पारुबाई / लक्ष्मणपुरी / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	--	--	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

414	kam-173	पुजाबाई / नरेन्द्रपुरी / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
415	kam-174	तुलसीगिरी / चन्द्रगिरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-22 पर राशि रु० 68000 दी जा चुकी है।	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	
416	Kam-175	शोभाग भारती / रतन भारती / कामनखेड़ा	कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत्।	आवेदक के नाम से अवार्ड गणना पत्रक आबादी भूमि टापू में अवर्ड गणना नंबर 115 पर राशि रु. 122386 का भुगतान किया गया।	-	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
417	kam-112	जयप्रकाश / रमेशचंद्र / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत्	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-170 रु० 18700 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
418	kam-178	गजानंद / जतन / कामनखेड़ा	घर का मुआवजा रु. 25000 से कम बनने पर कंडिका-7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्।	आवेदक को मुआवजा गणना कृषि भूमि टापू पत्रक क्रमांक 64 पर राशि रु० 8919 दी जा चुकी है।	---	इंदिरा आवास के तहत पुनर्वास नीति की कंडिका-7.2 के अनुसार शेष राशि दिया जाना उचित है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

419	kam-163	संतोषभारती / गजराज / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 116 पर राशि रु० 121956 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.-94 रु० 9350 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
420	kam-180	सुनिलगीर / लक्ष्मणगी / कामनखेड़ा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	परिवार की अंतिम सूचेंची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
421	kam-181	फत्तूगीर / घीसागीर / कामनखेड़ा	छूटे हुये मकान का सर्वे कराने बाबत।	आवेदक को मुआवजा कृषि टापू गणना पत्रक क्रमांक-5 पर राशि रु० 27339 एवं क्रं.-99 रु० 30988 एवं क्रं.-9 रु. 36943 दी जा चुकी है।	---	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	
422	kam-363/1	राजेश / मोहन / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं. 78 रु० 76850 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को भूखण्ड की राशि का भुगतान किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य हैं	
423	kam-361	मोहन / भीका / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 125 पर राशि रु० 22006 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.-77 रु० 76850 दी जा चुकी है।	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

424	kam-282	किशोरपुरी / रामपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-73 पर राशि रू० 91046 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं. 62 रू० 18700 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को पुनर्वास स्थल इंधावड़ी सूची क्रं.-62 पर भूखण्ड क्रं.-200 आवंटित किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
425	kam-36	रजान / पातलिया / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रू. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान एफआरएल क्रमांक 52 पर राशि रू० 93000 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है	
426	kam-359	राकेश / नरसिंह / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रू. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 55 पर राशि रू० 51785 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं. 29 रू० 68000 दी जा चुकी है।	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	
427	kam-358	सातनगिरी / भैरवगिरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रू. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	---	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	
428	kam-357	गणेश / गणपत / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रू. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 127 पर राशि रू० 41123 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं. 68 रू० 93000 दी जा चुकी है।	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

429	kam-356	कमलगिरी / चन्द्रगिर / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 139 पर राशि रु० 45333 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.-114 रु० 68000 दी जा चुकी है।	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	
430	kam-355	गणपत / पदम / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 128 पर राशि रु० 9487 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.- 67 रु० 103513 दी जा चुकी है।	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	
431	kam-354	छाबड़ा / गलसिंह / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	---	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	
432	kam-177	तुलाराम / जतन / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक-123 पर राशि रु० 17745 तथा पुनर्वास अनुदान गणना पत्र क्रं.-74 रु. 79105 दी जा चुकी है।	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	
433	kam-152	फकीरा / चेताराम / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत्	आवेदक को पिता के नाम से पुनर्वास अनुदान क्रं.-58 रु० 43700 दी जा चुकी है।	---	प्लाट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लाट हेतु आवेदन कर सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

434	kam-48	विरेन्द्रसिंह / सूरजसिंह / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-37 रू0 9350 दी जा चुकी है।	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
435	kam-374	गजरू / खुमान / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 100 पर राशि रू0 69323 एवं पुनर्वास अनुदान जीआरए क्रं.-26 रू0 93000 दी जा चुकी है।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा आवेदक के प्रकरण क्र 24797 दिनांक 90.06. 09 से मान्य किया गया।	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास सिल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
436	kam-375	संजय / त्रिलोक / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-93 रू0 18700 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
437	kam-376	मुकेश / रामु / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 101 पर राशि रू0 39666 एवं पुनर्वास अनुदान जीआरए क्रं.-30 रू0 93000 दी जा चुकी है।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा आवेदक के प्रकरण क्र 24824 दिनांक 09.06. 09 से अमान्य किया गया।	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
438	kam-149	मागईबाई / चेतराम / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को एफआरएल एवं बीडब्ल्यूएल पुनर्वास अनुदान क्रमांक 17 पर राशि रू0 18700 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास सिल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

439	kam-377	संतोष / आनंदराम / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.65 रू0 43700 दी जा चुकी है।	---	प्लाट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लाट हेतु आवेदन कर सकता है।	
440	kam-378	नन्नूगिर / नारायणगिर / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-29 रू0 18700 दी जा चुकी है।	---	प्लाट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लाट हेतु आवेदन कर सकता है।	
441	kam-379	शोभागगिर / नारायणगिर / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.30 रू0 18700 दी जा चुकी है।	---	प्लाट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लाट हेतु आवेदन कर सकता है।	
442	kam-38	रूमाल / हरसिंग / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रू. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान एफआरएल क्रमांक-16 पर राशि रू0 93000 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है	
443	kam-150	दगडू / चेताराम / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को एफआरडब्ल्युएल पुनर्वास अनुदान क्रं.-18 रू0 18700 दी जा चुकी है।	---	प्लाट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लाट हेतु आवेदन कर सकता है।	
444	kam-151	भीलूबाई / खेमा / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को एफआरएल पुनर्वास अनुदान क्रं.-32 रू0 18700 दी जा चुकी है।	---	प्लाट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लाट हेतु आवेदन कर सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

445	kam-165	लखन / धन्नालाल / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-9 रू0 68000 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
446	kam-381	बल्लूगिर / नारायणगिर / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-31 रू0 18700 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
447	kam-154	मंशाराम / पदम / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 140 पर राशि रू0 9311 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.-59 रू0 103689 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
448	kam-161	प्रेमलाल / पदम / कामनखेड़ा	घर का मुआवजा रू. 25000 से कम बनने पर कंडिका-7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 139 पर राशि रू0 20683 दी जा चुकी है।	---	इंदिरा आवास के तहत पुनर्वास नीति की कंडिका-7.2 के अनुसार शेष राशि दिया जाना उचित है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

449	kam-160	चन्दाबाई / मुन्नापुरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक की माँ के नाम से मुआवजा गणना आबदी टापू पत्रक क्रमांक 102 पर राशि रु० 133938 तथा शिकायत निवारण प्राधिकरण के आदेश क्रं.-24804 दि. 18.06.09 के द्वारा रु. 93000 दी जा चुकी है।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा आवेदक के प्रकरण क्र 24804 दिनांक 18.06.09 से मान्य किया गया।	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	
450	kam-159	प्रेमलाल / पदम / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 139 पर राशि रु० 20683 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.-71 रु० 43700 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
451	kam-158	गणपत / पदम / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 128 पर राशि रु० 9487 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं. 67 रु० 103513 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
452	kam-157	रोहितपुरी / मुन्नापुरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक की माँ के नाम से मुआवजा गणना पत्रक आबादी टापू में खाता क्रमांक 102 पर राशि रु० 133938 तथा शिकायत निवारण प्राधिकरण आ.क्रं.-24802 दि. 18.06.09 के द्वारा 93000 दी जा चुकी है।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा आवेदक के प्रकरण क्र 24802 दिनांक 18.06.09 से अमान्य किया गया।	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

453	kam-380	खुश्यालगिर / नारायणगिर / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.33 रू0 18700 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
454	kam-155	माया / जयराम / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रू. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक की माता के नाम से मुआवजा गणना पत्रक आबादी एफआरएल क्रमांक-3 पर राशि रू0 27947 तथा पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रं.-31 रू. 68000 दी जा चुकी है।	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	
455	kam-162	विरेन्द्रसिंह / सुरजसिंह / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं. 37 रू0 9350 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
456	kam-153	हुकुमपुरी / गेदपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 130 पर राशि रू0 21213 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.-102 रू0 68000 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
457	kam-385	कलाबाई / बेवा भादरपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 53 पर राशि रू0 67164 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.48 रू0 68000 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

458	kam-384	मुकेशपुरी / अनोखीपुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 158 पर राशि रू० 47150 एवं पुनर्वास अनुदान 139 रू० 9350 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
459	kam-383	मुकेश / रामू / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रू. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 101 पर राशि रू० 39666 एवं पुनर्वास अनुदान जी.आर.ए. क्रं.30 रू० 93000 दी जा चुकी है।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा आवेदक के प्रकरण क्र 24824 दिनांक 22.06.09 से अमान्य किया गया।	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	
460	kam-382	ओमगिर / नारायण / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं. 32 रू० 18700 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
461	kam-156	सेवंतीबाई / जयराम / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रू. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक आबादी एफआरएल क्रमांक 03 पर राशि रू० 27943 तथा पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रं.-30 रू. 68000 दी जा चुकी है।	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

462	kam-458	रज्जु बाई / गोकुल / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान देने बाबत	आवेदिका को मकान मुआवजा दिया गया जी आर ए प्रकरण क्र० 24613 दिनांक 19.06.09 के तहत पुनर्वास अनुदान दिया गया कृषि मजदुरी के मान से 93000 रु० का भुगतान किया गया ।	—	आवेदिका को प्रावधान अनुसार विशेष अनुदान की पात्रता नहीं आती है आवेदिका का जी आर ए द्वारा प्रकरण क्र० 24613 के तहत अनुदान दिया गया ।	
463	kam-456	जीवंती बाई / धन्नालाल / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान देने बाबत	आवेदिका को कृषि मजदुरी के मान से पुनर्वास अनुदान दिया गया एफ आर एल-बी ठब्लुय एल क्र० 7	—	आवेदिका को पुनर्वास अनुदान दिया गया प्रावधान अनुसार विशेष अनुदान की पात्रता नहीं आती है	
464	kam-455	अयोध्या बाई / पन्नालाल / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान देने बाबत	आवेदिका को मकान मुआवजा राशि का भुगतान किया गया कृषि टापु क्र० 63 अनुसार आवेदिका को जी आर ए प्रकरण क्र० 24794 आदेश दिनांक 19.6.09 के तहत अमान्य किया गया ।	—	आवेदिका को प्रावधान अनुसार विशेष अनुदान की पात्रता नहीं आती है	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

465	kam-454	चन्द्र / धन्ना / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान देने बाबत	आवेदक को अन्य मजदुरी के मान से पुनर्वास अनुदान दिया गया	—	आवेदक को पुनर्वास अनुदान दिया गया प्रावधान अनुसार विशेष अनुदान की पात्रता नहीं आती हैं आवेदक भुखंड प्राप्ति हेतु पुनर्वास स्थल बीड गोयडा इधावडी के लिये आवेदन प्रस्तुत कर सकता हैं	
466	kam-453	सुन्दर बाई / नाकु / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान देने बाबत	आवेदिका को कृषि मजदुरी के मान से पुनर्वास अनुदान दिया गया कं 48	—	आवेदिका को अनुदान दिया गया प्रावधान अनुसार विशेष अनुदान की पात्रता नहीं आती है	
467	kam-452	शिव शंकर / कल्याण / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान देने बाबत	—	—	आवेदक की उर्म कम होने से प्रावधान अनुसार विशेष अनुदान की पात्रता नहीं आती हैं	
468	kam-459	नन्नुपुरी / पुरणपुरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान का भुगतान मजदुरी के मान से किया गया कं० 97 आबादी टापु पर राशि 68000 रु० का भुगतान किया गया	—	आवेदक पुनर्वास आवेदन दिया गया प्रावधान अनुसार विशेष अनुदान की पात्रता नहीं आती है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

469	kam-449	कृष्ण पुरी / रामेश्वर पुरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान देने बाबत	परिवार सुची आबादी टापु क्रं. 52 पर रामेश्वरी पुरी पिता कृष्ण पुरी दर्ज है	—	आवेदक का आवेदन अस्पष्ट होने से निरस्त योग्य है	
470	kam-465	गल सिंह / राम सिंह / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान देने बाबत	आवेदक को जी आर ए द्वारा प्रकरण क्रं० 24590 आदेश दिनांक 19.6.2009 के तहत अनुदान दिया गया	—	आवेदक को अनुदान दिया गया प्रावधान अनुसार विशेष अनुदान की पात्रता नहीं आती है	
471	kam-447	बडन बाई / देवबन / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान देने बाबत	आवेदिका को व उसके परिवार के वस्यक पुत्रों को कृषक के मान से पुनर्वास अनुदान दिया गया क्र० 3 (कृषि भूमि टापु) अनुसार राशी 9350 रु० का भुगतान किया गया।	—	आवेदिका को अनुदान दिया गया प्रावधान अनुसार विशेष अनुदान की पात्रता नहीं आती है	
472	kam-445	रेमसिंह / नाकु / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान देने बाबत	आवेदक को कृषि मजदुरी के मान से पुनर्वास अनुदान दिया गया क्रं० 49 पर राशि 96153 का भुगतान किया गया।	—	आवेदक को अनुदान दिया गया प्रावधान अनुसार विशेष अनुदान की पात्रता नहीं आती है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

473	kam-442	उषा बाई / गणेश / कामनखेडा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान देने बाबत	आवेदिका को कृषि मजदुरी के मान से पुनर्वास अनुदान दिया गया	-	आवेदिका को अनुदान दिया गया प्रावधान अनुसार विशेष अनुदान की पात्रता नहीं आती है।	
474	kam-450	कालु / चंदर / कामनखेडा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान देने बाबत	-	-	आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अस्पष्ट होने से निरस्त योग्य हैं	
475	kam-476	श्यामा / बिहारी / कामनखेडा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान बाबत	-	-	आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अन्तर्गत ग्राम घोघल ग्राम से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं आवेदन अस्पष्ट होने से निरस्ती योग्य है।	
476	kam-494	रामेश्वर / देवराम / कामनखेडा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत				

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

477	kam-488	साहदर / मिठु / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	आवेदक को पुनर्वास गणना क्र० 39 अनुसार कृषि मजदुरी के रूप में राशि 93000रु० का भुगतान किया गया	—	आवेदक द्वारा अनुदान प्राप्त कर लिया गया प्रावधान अनुसार विशेष अनुदान की पात्रता नहीं आती है।	
478	kam-487	झुला बाई / रेम सिंह / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	आवेदिका के पति रेम सिंह को पुनर्वास अनुदान क्र० 49 अनुसार पुनर्वास अनुदान 96153 रु का भुगतान किया गया आवेदिका परिवार सुची आशरित के रूप में दर्ज हैं	—	आवेदिका को प्रावधान अनुसार विशेष अनुदान की पात्रता नहीं आती हैं	
479	kam-486	सुन्दर बाई / नाकु / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	आवेदिका को पुनर्वास गणना पत्रक क्र० 48 अनुसार पुनर्वास अनुदान राशि 93000रु का भुगतान किया गया	—	आवेदिका को पुनर्वास अनुदान दिया गया प्रावधान अनुसार विशेष अनुदान की पात्रता नहीं आती हैं।	
480	kam-485	दिलीप / रेम सिंह / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	आवेदक के पिता रेम सिंह को क्र० 49 अनुसार पुनर्वास अनुदान राशि दि गई आवेदिका की उम्र परिवार सुची क्र० 28 अनुसार उम्र 10 वर्ष ह	—	प्रावधान अनुसार विशेष अनुदान की पात्रता नहीं आती हैं	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

481	kam-483	कंचन बाई / महेश / कामन खेडा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	आवेदिका द्वारा अनुदान हेतु शि. नि. प्रा. भोपाल को प्रस्तुत आवेदन प्रकरण क्र० 24691 दिनांक 19.6.09 को अमान्य किया गया।	—	प्रावधान अनुसार आवेदिका को विशेष अनुदान की पात्रता नहीं आती है	
482	kam-480	हरली / मिठु / कामनखेडा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान बाबत	आवेदिका एवं उसके परिवार को वस्यक सदस्यों को कृषि मजदुरी के मान से अनुदान दिया गया एफ आर एल क्र० 25	—	आवेदक को अनुदान दिया गया प्रावधान अनुसार विशेष अनुदान की पात्रता नहीं आती है।	
483	kam-463	साहेबा / धुल सिंह / कामनखेडा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान देने बाबत	आवेदक को कृषि मजदुरी के मान से पुनर्वास अनुदान दिया गया एफ आर एल क्र० 57 पर राशि 93000 रू० का भुगतान किया गया।	—	आवेदक को पुनर्वास अनुदान दिया गया प्रावधान अनुसार विशेष अनुदान की पात्रता नहीं आती है।	
484	kam-477	दिनेश / जेमल / कामनखेडा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान बाबत	आवेदक को मकान मुआवजा राशी का भुगतान किया गया	—	आवेदक को विशेष अनुदान की पात्रता नहीं आती है।	
485	kam-460	इन्दर पुरी / भेरु पुरी / कामनखेडा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान देने बाबत	आवेदक को मकान मुआवजा एवं कृषक के मान से पुनर्वास अनुदान दिया गया क्र० 48 कृषि भूमि टापु पर राशि 9350 रू० का भुगतान किया गया	—	आवेदक को मुआवजा व अनुदान दिया गया प्रावधान अनुसार विशेष अनुदान की पात्रता नहीं आती है	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

486	kam-475	शायर बाई / चन्द्र सिंह / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान बाबत	आवेदिका को मकान मुआवजा एवं कृषि मजदुरी के तहत पुनर्वास अनुदान दिया गया आबादी टापु क्र० 20	—	आवेदिका को अनुदान दिया गया प्रावधान अनुसार विशेष अनुदान की पात्रता नहीं आती हैं	
487	kam-469	बसंती / कन्हैया / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	आवेदिका को जी आर ए भोपाल द्वारा प्रकरण क्र० 24690 आदेश दिनांक 13.05.2009 के तहत पुनर्वास अनुदान दिया गया	—	आवेदिका को अनुदान दिया गया प्रावधान अनुसार विशेष अनुदान की पात्रता नहीं आती हैं	
488	kam-466	भागीरत / रामजी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान कृषि मजदुरी के मान से दिया गया एफ आर एल क्र० 30	—	आवेदक को अनुदान दिया गया प्रावधान अनुसार विशेष अनुदान की पात्रता नहीं आती हैं	
489	kam-435	बंसती बाई / शिवपुरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	आवेदिका के परिवार कृषि भूमि होने कृषक के रूप में अनुदान दिया गया	—	आवेदिका को अनुदान दिया गया प्रावधान अनुसार विशेष अनुदान की पात्रता नहीं है	
490	kam-464	जितेन्द्र / आनन्दराम / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान देने बाबत	आवेदक को कृषि मजदुरी के मान से पुनर्वास अनुदान दिया गया बी डब्ल्यू एल क्र० 36 पर राशि 68000रु० का भुगतान किया गया है	—	आवेदक को पुनर्वास अनुदान दिया गया प्रावधान अनुसार विशेष अनुदान की पात्रता नहीं आती है	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

491	kam-462	मोहन / भीका / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान देने बाबत	आवेदक को अन्य मजदुरी के मान से पुनर्वास अनुदान दिया गया एफ आर एल क्रं० 77 पर राशि 76850 रू० का भुगतान किया गया	—	आवेदक को पुनर्वास अनुदान दिया गया प्रावधान अनुसार विशेष अनुदान की पात्रता में नहीं आता है	
492	kam-461	मयाराम / कन्हैया / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान देने बाबत	आवेदक को कृषि मजदुरी के मान से अनुदान दिया गया बी डब्ल्यू एल क्रं० 21 पर राशि 68000 रू० का भुगतान किया गया	—	आवेदक को पुनर्वास अनुदान दिया गया विशेष अनुदान की पात्रता में नहीं आता है	
493	kam-478	भारत सिंह / भुवान सिंह / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान बाबत	आवेदक को मकान मुआवजा का भुगतान किया गया	—	प्रावधान अनुसार विशेष अनुदान की पात्रता नहीं आती है।	
494	kam-398	गोलु / सुरज सिंह / कामन खेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान बाबत	—	—	आवेदक को विशेष अनुदान की पात्रता नहीं आती	
495	kam-408/3	गणपत / पदम / कामनखेड़ा	मकान मुआवजा 25000 रू० प्रदाय करने बाबत	आवेदक को पुनर्वास पत्रक क्रमांक 67 अनुसार कृषि मजदुरी के मान से अनुदान दिया गया	—	आवेदक को मकान मुआवजरा राशि प्रस्तावित विभाग के मुल्यांकन के आधार पर दि गई	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

496	kam-405	शिवराम / सरदार / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान बाबद	—	—	आवेदक को विशेष पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है	
497	kam-404	किशोर गिर / चन्द्र गिर / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान बाबद	आवेदक को परिवार सुची क्रमांक 18 अनुसार कृषि मजदुरी के मान से अनुदान दिया गया	—	आवेदक को पुनर्वास अनुदान दिया गया विशेष अनुदान की पात्रता नहीं आती है	
498	kam-403	राजु / मोहन / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान बाबद	आवेदक अन्य मजदुरी के मान से पुनर्वास गणना पत्रक मान 79 अनुसार अनुदान दिया गया कं० 79 पर 76850 रु० का भुगतान किया गया	—	आवेदक द्वारा पुनर्वास अनुदान का प्राप्त कर लिया गया विशेष अनुदान की पात्रता नहीं आती है	
499	kam-402	कोमल / रमेश / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान बाबद	आवेदक को कृषि मजदुरी के मान से पुनर्वास अनुदान सुची क्रमांक 63 अनुसार दिया गया	—	आवेदक को पुनर्वास अनुदान दिया गया विशेष पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं आती है	
500	kam-401	राकेश / मंशाराम / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान बाबद	आवेदक को भूमिहीन के मान से अनुदान दिया गया जिसका अनुदान सुची क्रमांक 60 पर इन्द्राज है	—	आवेदक को अनुदान दिया जा चुका है विशेष अनुदान दिये जाने की पात्रता नहीं है	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

501	kam-438	सीताराम / धनसिंग / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान देने बाबत	आवेदक को मकान मुआवजा राशि पुनर्वास अनुदान मजदुरी के मान से दि गई है	—	आवेदक को अनुदान दिया गया प्रावधान अनुसार विशेष अनुदान राशि की पात्रता नहीं आती है	
502	kam-399	धर्मेन्द्र पुरी / गणेश पुरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान बाबत	आवेदक को भूमिहीन के मान से अनुदान दिया गया	—	आवेदक को पुनर्वास अनुदान दिया गया विशेष अनुदान की पात्रता नहीं आती है	
503	kam-414/3	मुकेश पुरी / गप्पु पुरी / कामन खेड़ा	भूमिहीन की रूप में अनुदान देने बाबत	आवेदक को कृषक के मान से अनुदान दिया गया	—	आवेदक के परिवार में कृषि भूमि होने से भूमिहीन की पात्रता नहीं आती	
504	kam-397	नरोत्तमपुरी / देवपुरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन के रूप में अनुदान देने बाबत	आवेदक के परिवार कृषि भूमि होने से कृषक मानकर अनुदान दिया गया	—	आवेदक के पास कृषि भूमि होने से भूमि हीन के होने से अनुदान की पात्रता नहीं आती	
505	kam-395	रमेश पुरी / देवपुरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	आवेदक के पास कृषि भूमि होने से कृषक के मान से अनुदान दिया गया	—	आवेदक को अनुदान दिया गया विशेष अनुदान की पात्रता नहीं आती	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

506	kam-394	महेश पुरी / देव पुरी / कामन खेडा	भुमिहीन के रूप मे जीविका हेतु 2.5 लाख रू0 का विशेष अनदान बाबद	—	—	आबादी टापु गणना पत्रक 56 पर आवेदक के सयुक्त खाते मे 11.16 हेक्टेयर भुमि है अतः इन्ह भुमिहीन के रूप मे पात्रता नही है एवं वर्तमान मे 2.5 लाख रू0 देने का कोई प्रावधान नही है	
507	kam-391	रूखमणी / भोरला / कामनखेडा	भुमिहीन परिवार के रूप मे जिविका हेतु 2.5 लाख रू0 का विशेष अनुदान दिये जाने बाबद	—	—	आवेदक के नाम से ग्रम मे मकान एवं कृषि भुमि का अर्जन नही किया गया अतः आवेदक को 2.5 लाख अनुदान की विशेष पात्रता नही आती	
508	kam-390	हरीराम / श्यामु / कामन खेडा	भुमिहीन परिवार के रूप मे जिविका हेतु 2.5 लाख रू0 का विशेष अनुदान दिये जाने बाबद	—	—	आवेदक के नाम से ग्रम मे मकान एवं कृषि भुमि का अर्जन नही किया गया अतः आवेदक को 2.5 लाख अनुदान की विशेष पात्रता नही आती	
509	kam-389	संगीता / धनालाल / कामनखेडा	भुमिहीन परिवार के रूप मे जीविका हेतु 2.5 लाख रू0 का विशेष अनुदान देने बाबद	आवेदिका को भुमिहीन के मान से पुर्नवास अनुदान राशि गणना पत्रक क्रमांक 8 अनुसार	—	आवेदिका को भुमिहीन के रूप मे अनुदान का भुगतान किया गया विशेष अनुदान के रूपमे 2.5 लाख रू0 की पात्रता नही आती	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

510	kam-388/3	मंशाराम / पदम / कामनखेड़ा	भूमिहीन के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान बाबद	आवेदक को अनुदान सुची क्र. 59 पर भूमिहीन के मान से अनुदान किया गया	—	आवेदक को भूमिहीन के रूप में अनुदान राशि का भुगतान किया गया विशेष अनुदान पाने की पात्रता नहीं आती है	
511	kam-400	तेजराम / देवराम / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान बाबद	आवेदक को भूमिहीन के मान से पुनर्वास अनुदान दिया गया बी डबलु एल अनुदान सुची क्रमोंक 29	—	आवेदक पुनर्वास अनुदान दिया गया विशेष अनुदान की पात्रता नहीं आती	
512	kam-426	संतोषबन / देवबन / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को कृषि मजदुरी के मान से पुनर्वास अनुदान दिया गया है	—	आवेदक को पुनर्वास अनुदान दिया गया प्रावधान न होने से विशेष अनुदान की पात्रता नहीं आती है	
513	kam-440	काशीपुरी / जगदीश पुरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान देने बाबत्	आवेदक को मकान मुआवजा व पुनर्वास कृषि मजदुरी के मान से दिया गया क्र० 157 के तहत राशी 68000 रू० का भुगतान किया गया	—	आवेदक को पुनर्वास अनुदान दिया गया प्रावधान अनुसार विशेष अनुदान की पात्रता नहीं आती है	
514	kam-439	राजु / मोहन / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान देने बाबत्	आवेदक को अन्य मजदुरी के मान से पुनर्वास अनुदान दियरा गया क्र० 79	—	आवेदक अनुदान दिया गया प्रावधान अन्तर्गत विशेष अनुदान की पात्रता नहीं आती है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

515	kam-436	श्रवण / शोभाराम / कामनखेडा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	आवेदक को कृषि मजदुरी के मान से पुनर्वास अनुदान राशि का भुगतान किया गया	—	आवेदक को अनुदान दिया गया प्रावधान अनुसार विशेष अनुदान की पात्रता नहीं आती है आवेदक प्लाट हेतु पुनर्वास स्थल बीड गोयडा इधावडी के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है	
516	kam-413/3	राजु पुरी / गोपाल पुरी / कामन खेडा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान बाबत	आवेदक के परिवार में उसकी मा बसकर बाई को मजदुरी के मान से अनुदान दिया गया है	—	आवेदक का नाम परिवार सुची में ना होने से विशेष अनुदान की पात्रता नहीं आती	
517	kam-433	कृष्ण दास / जितमल / कामनखेडा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	आवेदक को अन्य व्यवसाय के मान से पुनर्वास अनुदान दिया गया	—	आवेदक को पुनर्वास अनुदान दिया गया प्रावधान अनुसार विशेष अनुदान की पात्रता नहीं आती	
518	kam-430	सारका / मिठटु / कामनखेडा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	आवेदक को मजदुरी के मान से पुनर्वास अनुदान दिया गया क्र० 40 अनुसार राशि 93000 रू० का भुगतान किया गया	—	आवेदक को अनुदान दिया गया प्रावधान अनुसार विशेष अनुदान की पात्रता नहीं आती है	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

519	kam-429	अरविंद / कृष्ण दास / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	आवेदक को अन्य व्यवसाय के अन्तर्गत पुनर्वास अनुदान दिया गया। (आबादी टापु) जिसकी राशि 42500 रु० का भुगतान किया गया क्र० 13	—	आवेदक को पुनर्वास अनुदान दिया गया प्रावधान अन्तर्गत विशेष अनुदान की पात्रता नहीं आती	
520	kam-409	विष्णु पुरी / भगवान पुरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	—	—	आवेदक को विशेष अनुदान की पात्रता नहीं है	
521	kam-427	विजय बन / देव बन / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	आवेदक के परिवार में कृषि भूमि होने से कृषक के मान से अनुदान दिया गया	—	आवेदक को पुनर्वास अनुदान दिया गया प्रावधान अनुसार विशेष पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं आती	
522	kam-413	रमेश / श्यामराव / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	आवेदक को कृषि के मान से अनुदान दिया गया जिसका क्रमांक 2 पर इन्द्राज है	—	आवेदक को पुनर्वास अनुदान एवं भुखंड दिया गया विशेष अनुदान की पात्रता के अन्तर्गत नहीं आता है	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

523	kam-425	दिपक बन / संतोष बन / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	आवेदक को मकान मुआवजा राशि एवं मजदुरी के मान से पुनर्वास अनुदान दिया गया	—	आवेदक को पुनर्वास अनुदान दिया गया विशेष अनुदान के सम्बन्ध में प्रावधान नहीं है	
524	kam-424	धन्नुगीर / चन्द्र गीर / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	आवेदक को मजदुरी के मान से अनुदान दिया गया	—	आवेदक द्वारा अनुदान प्राप्त कर लिया गया विशेष अनुदान की पात्रता नहीं आती है	
525	kam-419	परवीन / भगवान पुरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान के० 72 अनुसार कृषि मजदुरी के मान से दिया गया राशि 68000 रु० का भुगतान किया गया	—	आवेदक को पुनर्वास अनुदान दिया गया विशेष अनुदान हेतु प्रावधान नहीं है	
526	kam-418	परवीन / भगवान पुरी / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कण्डिका 7.1 के तहत प्लॉट बाबत	आवेदक को कृषि मजदुरी के मान से पुनर्वास अनुदान सुची 72 अनुसार अनुदान 68000 रु० का भुगतान किया गया	—	आवेदक प्लॉट हेतु पुनर्वास स्थल हेतु बीड गोयडा इधाबडी में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं	
527	kam-417/3	राजेन्द्र पुरी / गप्पु पुरी / कामन खेड़ा	भूमिहीन के रूप में अनुदान देन बाबत	आवेदक को कृषक के मान से अनुदान राशि दि गई	—	आवेदक के परिवार में कृषि भूमि होने से अनुदान की पात्रता नहीं आती	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

528	kam-415	मनोहर / चंदर गिरी / कामनखेडा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रमांक 19 अनुसार कृषि मजदुरी के मान से अनुदान दिया गया	—	आवेदक को पुनर्वास अनुदान दिया गया विशेष अनुदान हेतु प्रावधान न होने से पात्रता नहीं आती है	
529	kam-441	संजय पुरी / गेंदा पुरी / कामनखेडा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान देने बाबत	आवेदक को अनुदान राशि दि गई	—	आवेदक को अनुदान राशि दि गई प्रावधान अनुसार विशेष अनुदान की पात्रता नहीं आती हैं	
530	kam-428	प्रीति / कृष्ण दास / कामनखेडा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	आवेदक को नाम परिवार सुची में होने से अन्य व्यवसाय के अन्तर्गत पुनर्वास अनुदान दिया गया क्र० 15 (आबादी टापु) अनुसार राशि 42500 रू० का भुगतान किया गया	—	आवेदक को पुनर्वास अनुदान दिया गया प्रावधान अनुसार विशेष पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं आती	
531	kam-411/3	जितेन्द्र / केरु / कामनखेडा	भूमिहीन के रूप में अनुदान देने बाबत	कृषक के मान से आवेदक को अनुदान दिया गया	—	आवेदक के परिवार में कृषि भूमि होने से भूमिहीन के रूप में अनुदान की पात्रता नहीं आती	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

1	KAM-144	राधेश्याम / राजाराम / कामनखेड़ा	असिंचित भूमि को सिंचित करने बाबत	आवेदक को ग्राम गोल सेलानी में कृषि अवार्ड क्र० 8 पर मुआवजा राशि 151856 रू० भुगतान की गई।		तहसीलदार से प्राप्त 5 साला के आधार पर सिंचित रकबे का निराकरण किया गया है। आवेदक की भूमि असिंचित होने से सिंचित नहीं की जा सकती।	
2	KAM-498	सालनगीर / भैरुगीर / कामनखेड़ा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 74 पर राशि रू० 139882 दी जा चुकी है।		प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
3	KAM-312	शेरसिंह / मांगीलाल / कामनखेड़ा	25 प्रति० भूमि डूब में लेने बाबत	आवेदक को ग्राम गौल सेलानी में कृषि अवार्ड क्र० 2 पर मुआवजा राशि 38659 रू० भुगतान की गई।		आवेदक की कुल भूमि में से 90 प्रतिशत भूमि अर्जित की गई है।	
4	GOL-144	राधेश्याम / राजाराम / गोल सैलानी	असिंचित की गई भूमि को सिंचित करने बाबत	आवेदक को ग्राम गोल सैलानी में कृषि अवार्ड क्र० 8 पर मुआवजा राशि 151856 रू० भुगतान की गई।		तहसीलदार से प्राप्त 5 साला खसरा के आधार पर सिंचित रकबे का निराकरण किया गया है। आवेदक की भूमि असिंचित होने से सिंचित नहीं की जा सकती।	
5	KAM-457	मोहनपुरी / सिकदारपुरी / कामनखेड़ा	घर का भूअर्जन करने बाबत	आवेदक को कृषि अवार्ड टापू क्र० 9 पर मुआवजा राशि 18417 रू० भुगतान की गई।		प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से सम्बंधित।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

6	KAM-162	लालसिंह / दुलेसिंह / कामनखेड़ा	पाइप लाइन लेने बाबत	आवेदक को कृषि अवार्ड क्र० 37 पर मुआवजा राशि 373592 रु० भुगतान की गई।	—	आवेदक को पाइप लाइन का मुआवजा दिया गया है। आवेदक की मांग गलत है।	
7	KAM-150	सुरपालसिंह / धनसिंह / कामनखेड़ा	अर्जन की गई सम्पत्ति के सम्बंध में	आवेदक को कृषि अवार्ड क्र० 31 पर मुआवजा राशि 378780 रु० भुगतान की गई।	—	आवेदक को पक्के कुएं का 15806 रु० मुआवजा दिया गया है। जिस पर ब्याज एवं तोषण राशि भी दी गई है।	
8	KAM-262	सुरजपालसिंह / धनसिंह / कामनखेड़ा	अर्जन की गई सम्पत्ति के सम्बंध में।	आवेदक को कृषि अवार्ड क्र० 31 पर मुआवजा राशि 378780 रु० भुगतान की गई।		आवेदक को पक्के कुएं का मुआवजा दिया गया है।	
9	KAM-468	मदनगीर / दरियावगीर / कामनखेड़ा	कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	—		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र ग्राम कामनखेड़ा में निवास नही होने से परिवार सूची में नाम शामिल नही किया गया।	
10	KAM-492	उषाबाई / गेंदपुरी / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को कृषि टापू पुनर्वास अनुदान क्रं.-9 रु० 68000 दी जा चुकी है।		वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने का प्रावधान नही है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

11	KAM-481	संगीता / मोहन / कामनखेडा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक के पिता मोहन पिता भीका को पुनर्वास अनुदान 76850 रु० का भुगतान किया गया। आवेदिका की उम्र 17 वर्ष होने से अनुदान की पात्रता नहीं आती है।		वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने का प्रावधान नहीं है।	
12	KAM-416	हेमराज / नत्थु / कामनखेडा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 24 पर 68000 रु० दिया गया।		वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने का प्रावधान नहीं है।	
13	KAM-420	भगवान / सरदारसिंह / कामनखेडा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 10 पर 68000 रु० दिया गया।		वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने का प्रावधान नहीं है।	
14	KAM-422	पप्पु / फत्तु / कामनखेडा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 35 पर 18700 रु० दिया गया।		वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने का प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

15	KAM-467	आशाराम / शोभाराम / कामनखेडा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 35 पर राशि रु० 68000 दी जा चुकी है।		वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने का प्रावधान नहीं है।	
16	KAM-470	भागीरथ / रामाजी / कामनखेडा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 30 पर 93000 रु० दिया गया।		वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने का प्रावधान नहीं है।	
17	KAM-471	जितेन्द्र / आशाराम / कामनखेडा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक के पिता को अवाईड गणना पत्रक क्रमांक-5 राशि रु. 54577 का भुगतान किया गया। आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 36 पर 68000 रु० दिया गया।		वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने का प्रावधान नहीं है।	
18	KAM-479	राजेश / मोहन / कामनखेडा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 78 पर 76850 रु० दिया गया।		वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने का प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

19	KAM-497	कृष्णागीर / रामेश्वरगीर / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 79 पर राशि रु० 18700 दी जा चुकी है।		आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अस्पष्ट होने से विचार योग्य नहीं है	
20	KAM-490	मुकेश / आनंदराम / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।		जी०आर०ए० प्रकरण क्र० 24674 दिनांक 19. 6.09 से अमान्य किया गया।	वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने का प्रावधान नहीं है।	
21	KAM-484	रेमसिंह / नाकु / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 49 पर राशि रु० 96153 दी जा चुकी है।		वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने का प्रावधान नहीं है।	
22	KAM-489	आनंदराम / धन्नालाल / कामनखेड़ा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	-	जी०आर०ए० प्रकरण क्र० 24578 दिनांक 17. 6.09 से अमान्य किया गया।	वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने का प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : कामनखेड़ा आवेदन पत्र का प्रकार : 9 अन्य

1	kam 143	लक्ष्मीबाई / गोकुल भारती अन्य / कामनखेड़ा	अन्य	आवेदिका को कृषि भूमि का एफआरएल एवं बीडब्ल्यू एल के खाता क्रं.-2 में रु. 87366 एवं एफआरएल में खं.क्रं.-34 रु. 3,84,872 तथा इसका विशेष पुनर्वास अनुदान एफआरएल से एमडब्ल्यू एल के मध्य खाता क्रं.-2 में रु. 19 एवं एफआरएल में खाता क्रं.-82 में रु. 150465 भुगतान किया गया है तथा मायाबाई पति फत्तूगिर को कृषि भूमि एफआरएल के खाता क्रं.-30 पर 5,12,806 तथा एफआरएल से बीडब्ल्यू एल के मध्य खाता क्रं.-1 पर रु. 62058, कृषि भूमि खाता क्रं.-21 रु. 540650	-	टांसफार्मर स्थानांतरित करने का कार्य इस अधिकार क्षेत्र में नहीं है।	-
---	---------	---	------	---	---	---	---